नागरिक सुरक्षा योजना

2026

बून्दी जिला

(हरफूल सिंह यादव)
जिला कलक्टर एवं पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, बून्दी (राज.)

RajKaj Ref No.:
22000129

क.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	02
	भाग – I	
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	03
	भाग – II	
03	बून्दी जिले की रुपरेखा व जिला प्र ाासन	07
	भाग – III	
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	24
05	मुख्यालय (Headquarter Service)	25
06	संचार सेवा (Communication Service)	28
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	31
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	33
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	34
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	35
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	36
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	36
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	37
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	38
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	39
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	40
	भाग – IV	
17	निष्क्रमण (Evacuation)	43
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	45
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	47
20	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	48
	भाग – V	
21	रासायनिक युद्ध	50
22	जैविक युद्ध	52
23	आणविक युद्ध	54
	भाग – VI	
24	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	64
25	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	65
26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एव अन्य संसाधनों की सूची	70

RajKaj Ref No.:
22000129

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि वि व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ–साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन–धन हानि में अपार वृद्वि हुई है। बून्दी जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दि ा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे–युद्व के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्व, ओद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन–धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। बून्दी जिले की **जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 11.13 लाख है**।

अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय–समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना मे सम्माहित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा बून्दी जिला नागरिक सुरक्षा कैटेगरी III घोषित है।

दिनांक :

(हरफुल सिंह यादव)
जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा,

भाग – I

1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके

RajKaj Ref No.:
22000129

माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर ''नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन'' किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका ''बाहरी आक्रमण/हवाई हमला'' के साथ–साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को ''नागरिक सुरक्षा जिले'' घोषित कर दिया गया।

1.4 नियन्त्रण :

(क) **निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर** – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) **नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर** –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग) **नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय** – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा

कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** – वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें जिला भी सम्मिलित है।

1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :–

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)

आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा

उप निदेशक नागरिक सुरक्षा **निदे ाक ना.सु.प्र.सं. (CDTI)**

सीनियर स्टाफ ऑफिसर **वरिष्ठ लेखाधिकारी** **उपनियंत्रक CDTI**

जूनियर स्टाफ ऑफिसर **उप नियंत्रक** **AAO-I** **मंत्रालयिक स्टॉफ**

AAO-II

मंत्रालयिक स्टॉफ **अग्निशमन स्टाफ**

(ख)नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)

नियंत्रक (जिला कलक्टर)

उप नियंत्रक/सहा. नियंत्रक

ना.सु. अग्निशमन केन्द्र

मंत्रालयिक स्टॉफ

1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए ''नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009'' जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल ''बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा'' के साथ ही सैकेण्डरी रोल ''आपदा प्रबन्धन'' भी कर दिया गया।

भाग – II

बून्दी जिले की रूपरेखा

2.1 बून्दी जिले का नक्शा

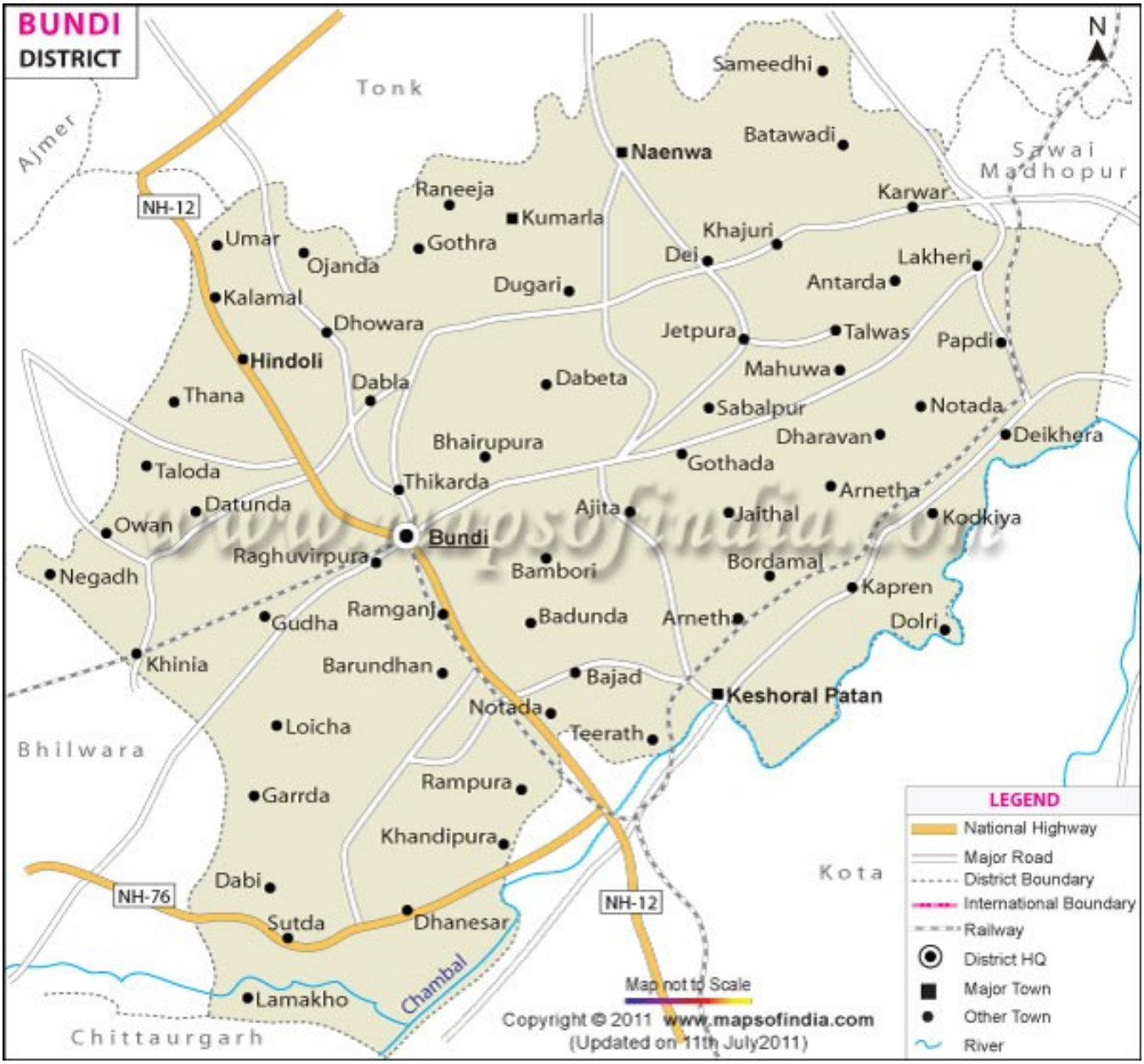

2.2 <u>भौगोलिक स्थिति</u> – बून्दी जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक अनियमित समलम्ब चतुर्भुज आकार लिये हुये 24054′ से 25053 उत्तरी अक्षां ा तथा 75019 से 76019′ तक पूर्वी दे ाान्तर के मध्य स्थित है। इसकी लम्बाई पूर्व से पि चम तक 111 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 104 किलोमीटर है। जिले के उत्तर में टोंक, सवाई माधोपुर, दक्षिण–पि चम में चित्तौडगढ और पि चम में भीलवाडा तथा दक्षिण–पूर्व में कोटा जिला है। इस क्षेत्र की सबसे बडी वि ोशता यह है कि इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण–पि चम दि ाओं में दो पर्वत श्रेणियों फैली हुई है। यह क्षेत्र मुख्यतः विन्ध्याचलीय चटटानों से बना है तथा पहाडिया व पर्वत मालाएं इसकी वि ोशता है। जिनकी समुद्री तल से ऊंचाई 300 से 1793 फिट तक की है। इस श्रेणी की सबसे उंची चोटी हिण्डोली तहसील में सथूर में है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1793 फिट है। जिले का उत्तरी पश्चिम भू भाग अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र है। यहां की भूमि कठोर और पथरीली है परन्तु दक्षिणी पूर्वी मैदानी भागों में सामान्यतया उपजाऊ काली मिटटी पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 5850 वर्ग किमी है। इसकी जनसंख्या 1113725 है। जिले में पांच मुख्य नदियां चंबल, मेज, मांगली, तालेडा एवं घोडपछाड तथा लगभग 43 तालाब है। जिनमें फूलसागर दुगारी झील, हिण्डोली का तालाब, नैनवां का तालाब, तलवास का तालाब, जैतसागर एवं नवलसागर प्रमुख है।

2.3 <u>सामान्य जानकारी</u> :– जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगर निकाय/ ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्यालय नियंत्रक एवं जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा बून्दी				
क्र.स.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गिरदावर वृत्त का नाम	उपखण्ड में आने वाले राजस्व ग्राम
1	बून्दी	बून्दी	बून्दी सिटी	बून्दीसिटी
2				देवपुरा
3				छत्रपुरा
4				हटटीपुरा
5				रघुवीरपुरा
6				कांजरीसीलोर
7				बहादुरपुरा
8				बीबनवा
9				अस्तोली
10				दौलतपुरा
11				दौलाडा
12				कुवांरती
13				बल्देवपुरा
14				शिवशक्ति का खेडा

15				बालापुरा
16				रामगंज
17				चापरस
18				नानकपुरिया
19				उमरच
20				ईटोडा
21				भंवरदा
22				रायता
23			गुढानाथावतान	गुढानाथावतान
24				शाहपुरा
25				बिशनपुरा
26				नीम का खेडा
27				मोहनपुरा
28				मेघारावत की झोप0
29				ओनारजी की झोप0
30				मोतीपुरा
31				उलेडा
32				खुनेटिया
33				गोपालपुरा
34				सीन्ता
35				सीन्ती
36				रामनगर
37				बांगामाता उर्फ भवानीपुरा
38				खेरूणा
39				कांटी
40				उमरथूना
41			माटून्दा	माटून्दा
42				मोतीपुरा
43				गांधीग्राम
44				श्योपुरिया की बावडी
45				जावटीकला
46				गणपतपुरा
47				काटूनारा
48				रघुनाथपुरा
49				गोरधनपुरा
50				दयालपुरा
51				नयागांव
52				झरबालापुरा
53				नृसिंहपुरा
54				कुण्डालिया
55				ओकारपुरा
56				हरिपुरा

57				गणेशपुरा
58			खटकड	खटकड
59				खडीबांरा
60				केसरपुरा
61				बाडा धूंधला
62				बल्देवपुरा
63				जावरा
64				भीमगंज
65				गुलखेडी
66				गुढामकदूका
67				हरिपुरा उर्फ जावरा की झोप0
68				भैरूपुरा ओझा
69				सांमरबा
70				गुवाडी
71				अखेड
72				रजवास
73				खटियाडी
74				बारबास
75			बम्बोरी	बम्बोरी
76				जावटीखुर्द
77				नन्दपुरा
78				ऐबरा
79				बन का खेडा
80				गोबरिया
81				अन्थडा
82				बथवाडा
83				लालपुरा
84				जालेडा
85				बागदा
86				संगावदा
87				किशनपुरा
88			सीलोर	सीलोर
89				भीमपुरिया
90				महरामपुरा
91				करजुना
92				रामपुरिया
93				भलसंवा
94				सालरिया
95				मंगाल
96				तीखाबडा
97				श्रीनगर

98				रूपनगर
99				गरनारा
100				भीम का खेडा
101				हजारा भैरू की झोप0
102				लाखा की झोपडियां
103				कालपुरिया
104				सांकडदा
105				बावडीखेडा
106				ढोला की झोपडिया
107			लोईचा	लोईचा
108				सुन्दरपुरा
109				श्रवण की झोपडिया
110				आमली
111				पाकलपुरिया
112				बिजनावर
113				कुम्हारिया
114				प्रेमपुरा
115				व्यासबावडी
116				गोपालनिवास
117				मालीपुरा
118				गुंवार
119				हरिपुरा
120				श्यामू
121				भैरूपुरा बरड
122				मंडावरा
123				मंडावरी
124				होलासपुरा
125				बांकी
126				अनोपपुरा
127				पराणा भीलो का
128				गरडदा
129				पलकां
130				केवडिया
131				गोलपुर
132			अजेता	अजेता
133				लोहली
134				रामपुरा धोलो का
135				रिहाणा
136				देलून्दा
137				बगली

RajKaj Ref No.:
22000129

138				गोगपुरा
139				छावनी
140				ख्यावदा
141				छापर्डा
142				हनुत्या
143				बीचडी
144				भाटो का खेडा
145				रायथल
146				पीपल्या
147				मंडीत्या
148				जखाणा
149			नमाना	नमाना
150				किशनपुरा
151				कॅवरपुरा
152				धनातरी
153				भरताबावडी
154				बिलूबा
155				भंवरिया कुआ
156				अन्धेड
157				गादेगाल
158				खानखेडा
159				कोटखेडा
160				बरखेडा
161				मांगली
162				सांवलपुरा
163				गुमानपुरा
164				जरखोदा
165				अल्कोदिया
166				मोहीपुरा
167				चकमोहीपुरा
168		तालेडा	तालेडा	तालेडा
169				अकतासा
170				नैणदा
171				जलोदा
172				खुराड
173				ठीकरिया चारणान
174				सप्तीजा
175				लीलेडा चारणान
176				कोथ्या
177				कराड का बरधा
178				लीलेडा व्यासान

RajKaj Ref No.:
22000129

179				पीपल्दा हाडो का
180				सांथेली
181				जमीतपुरा
182				रघुनाथपुरा
183				सांदडी
184				मांदडी
185				खेडला
186				चक खेडला
187			बरून्धन	बरून्धन
188				अल्फानगर
189				सीतापुरा
190				गागोस
191				मोटूका
192				लक्ष्मीपुरा
193				दूल्हेपुरा
194				चांदा का तालाब
195				कल्याणपुरा
196				आमथून
197				तालाब बरधा
198				देवरिया
199			बाजड	बाजड
200				डगलावदा
201				छपावदा
202				जलोदी
203				बडून्दा
204				ठीकरिया कला
205				लाडपुर
206				गणेशपुरा (बेचिराग)
207				भूमाखेडा
208				सुंवासा
209				खलून्दा
210			देहित	देहित
211				चांदनहेली
212				सेंदडी
213				गामछ
214				भवानीपुरा
215				कणां
216				तीरथ
217				सीन्ता
218				महराना
219				संवर
220			बल्लोप	बल्लोप

221				गोविन्दपुर बावडी
222				भोपतपुरा
223				खेरोली
224				लाम्बापीपल
225				जाखमूण्ड
226				तुलसी
227				रामपुरिया
228				कैथूदा
229				नया बरधा
230				जाल की झोपडिया
231				बालापुरा
232				पीताम्बपुरा
233				नोताडा भोपत
234				बक्षपुरा
235				तीतरवासा
236				देलून्दा
237				विनायका
238			डाबी	डाबी
239				बेवडिया
240				डबूसर
241				थडी
242				गोपालपुरा
243				लक्ष्मीपुरा
244				फतेहपुरा
245				देवगढ
246				धोरेला
247				रतनपुरा
248				बुधपुरा
249				गोरधनपुरा
250				पराणा
251				गणेशपुरा
252				बडफू
253				नरोली
254				लाम्बाखोह
255				पीपल्दा धाकडान
256			धनेश्वर	धनेश्वर
257				कंवरपुरा
258				बगचांच
259				सूतडा
260				भगवानपुरा उर्फ चैनपुरिया
261				भवानीपुरा
262				राजपुरा

263				छांट का खेडा
264				ढसालिया
265				गुढा
266				जवाहरसागर
267				खडीपुर
268				करोंदी
269				डोरा
270				जलोती
271				श्योपुरिया
272				कछालिया
273				बिजाडी
274		के.पाटन	केशवराय पाटन	केशवरायपाटन
275				चितावा
276				रंगपुरियां
277				गुडली
278				गुडला
279				पटोलिया
280				विजयनगर
281				चडी
282				हस्तिानापुर
283				इन्द्रपुरियां
284			अरनेठा	अरनेठा
285				रडी
286				बुढियां
287				कमोलर
288				पादडा
289				करवाला
290				रघुनाथपुरा
291				बनियानी
292				बालदडा
293				सारसला
294				नोताडा
295				समदपुरियां
296				अणदपुरा
297				श्रीपुरा
298			भीया	भीया
299				रंगराजपुरा
300				माधोराजपुरा
301				जगन्नाथा
302				खेडली खुर्द
303				बालीथा
304				जाखरून

305				सूनगर
306				लाखेरीखुर्द
307				नीमोठा
308				केशवनगर
309			जैथल	जैथल
310				दोताना
311				ओहडी
312				बलकासा
313				रामपुरियां
314				लक्ष्मीपुरा
315				बोरदामाल
316				भावपुरा
317				जलोदा
318				भिण्डी
319				खेडली मेहता
320				चांवछ
321				छोडेदा
322			मायजा	मायजा
323				कोडीजा
324				छरकवाडा
325				झुवासा
326				कान्हीहेडा
327				लेसरदा
328				बन्जारो की झो.
329				ईश्वरनगर
330				निमोदा
331				हालीहेडा
332			काप्रेन	काप्रेन
333				करीरिया
334				टाकरवाडा
335				अडीला
336				हीरापुर
337				बालापुरा
338				हाण्डियाखेडा
339				जोश्याखेडा
340				ठीमली
341				चरडाना
342				अरडाना
343				बाझडली
344				अरनिया
345			गेण्डोली	गेण्डोली कंला
346				गेण्डोली खुर्द

347				गूथां
348				महुवां
349				झाडोल
350				गेण्डोली खुर्द की झोपडियां
351				नयागांव उर्फ बोहरा कजोड की झो.
352				फौलाई
353				कुवागांव
354				जहुरियां
355				बीरमपुरा
356				गोपालपुरा
357				गोठडा
358				जगनाथपुरा
359				लोहली
360				भैसखेडा
361				मोरखुदना
362				बोरदा काछियान
363				जालेडा
364				ढीगसी
365				ईशरदा
366				कंवरपुरा
367				अमरपुरा
368				चोतरा का खेडा
369			रोटेदा	रोटेदा
370				झरान्या
371				ढीकोली
372				देवली
373				चकहाण्डयाखेडा
374				बालोद
375				डोलर
376				जगदरी
377				बीरज
378				खेडली व्यासान
379				पीपल्दा जागीर
380				आजन्दा
381				खेडली बन्धा
382				कोडक्या
383				बोयाखेडा
384				देवपुरा
385			झालीजीका बराना	झालीजीका बराना
386				करवाला की झो.
387				बरानी

388				मेनोली
389				कोडक्या बालाजी
390				पीपल्दा समेल
391				हिगोनियां
392				गरजनी
393				चाढगांव
394				नयागांव
395				हरिपुरा उर्फ काली तलाई
396		इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़
397				मोहनपुरा
398				छत्रपुरा
399				झीडा
400				दरामाताजी
401				बालापुरा
402				श्योदानपुरा
403				बाबई
404				कैलाशपुरी
405				मोतीनगर
406				बोहरियागांव
407				जयनगर
408				जयनिवास
409				सुन्दरनगर
410				रमजपुरा
411				लालपुरा
412				सुमेरपुरा
413				संग्रामगंज
414			सुमेरगंजमण्डी	सुमेरगंजमण्डी
415				अनघोरा
416				चकखेडली
417				खेडलीमाफी
418				मुई
419				दौलतपुरा
420				कानपुर
421				टोकसपुरा
422				देवपुरा
423				नयागांव
424				नान्ता
425				महापुरा
426				रूपपुरा
427				सुनारी
428				हरदेवगंज

429				हीरापुर
430				पापडा
431				केमलिया
432				रामपुरिया
433				गुढा
434				रामनगर
435				शेरगंज
436				बेलनगंज
437				चन्द्रगंज
438			बलवन	बलवन
439				आमलीखेडा
440				कंवरपुरा
441				धाकडखेडी
442				रकसपुरा
443				अरनियां
444				अमरपुरा
445				फदकपुरा
446				नवलपुरा
447				अभयपुर
448				शिवगंज
449				केशोपुरा
450				लक्ष्मीपुरा
451				गेन्दापुरा
452				कोलाशपुरा
453				पीचूपुरा
454				चाणदाखुर्द
455				किशनगंज
456				किशनपुरा
457				खेडलीकलां
458				खेडलीखुर्द
459				चाणदाकलां
460				डोबरली
461				मुरजादपुरा
462				सखावदा
463				बडगांव
464				बालापुरा
465				बिशनपुरा
466				भाण्डगंवार
467			बडाखेडा	बडाखेडा
468				बसवाडा

469				करीरिया
470				कांकरामेज
471				सहणपुर
472				पाली
473				माखीदा
474				चकमाखीदा
475				पीपल्दाथाग
476				खाकटा
477				बगली
478				बहडावली
479			लाखेरी	लाखेरी
480				पापडी
481				जाडला
482				नयागांव
483				खेडलीदेवजी
484				उतराना
485				कांकराडूंगर
486				चमावली
487				डांगाहेडी
488				बुढेल
489				ढगारिया
490				ठीकरी
491				प्रतापगढ
492				छप्पनपुरा
493				मालियां की बाड़िया
494			घाट का बराना	घाट का बराना
495				झपायता
496				कोटड़ी
497				बलदेवपुरा
498				नोताडा
499				लक्ष्मीपुरा
500				धरावन
501				रघुनाथपुरा
502				मालिकपुरा
503				चकमालिकपुरा
504				रेबारपुरा
505				खेंडियामान
506				खेडियादुर्जन
507				पचीपला
508				पापडली
509			लबान	लबान
510				गुहाटा

511				कोटाखुर्द
512				देहीखेडा
513				चंहिचा
514				खरायता
515				डडवाडा
516				डपटा
517				रामगंज
518		नैनवां	नैनवां	नैनवां प्रथम
519				नैनवां ।द्वितीय
520				सुवाण्या
521				बीजलवा
522				खोलाड़ा
523				पीपरवाला
524				सुन्थली
525				धानूगॉव
526				पाण्डूला
527				भावपुरा
528				धीरपुर
529			बांसी	बांसी
530				दुगारी
531				कुम्हारिया गॉव उर्फ लक्ष्मीपुरा
532				रघुनाथपुरा
533				मरां
534				कालानला
535				फलास्तूनी
536				फतेहपुरा
537				रामगंज
538				सादेड़ा
539				भण्डेड़ा
540				गुजरियाखेडा
541				मूण्डली
542			बामनगॉव	बामनगॉव
543				लालगंज
544				भोमपुरा
545				समीधी
546				चावण्डपुरा
547				नाहरी
548				बालापुरा
549				हीरापुर
550				रधुनाथगंज
551				नाहरगंज
552				करीरी

553				बोरदा
554			जजावर	जजावर
555				खोढी
556				ताकला
557				सीसोला
558				महावीरपुरा
559				भीमगंज
560				सुवांसड़ा
561				बालापुरा
562				गोबल्या
563				खानपुरा
564				मानपुरा
565				देवरी बडवा
566				ऑव का खेड़ा
567				कोरमा
568				दियाली
569				चैनपुरिया
570				टोपां
571				बाछोला
572				भैसों का नयागॉव
573				सुरगली
574				उगेन
575				देवपुरा
576			डोकून	डोकून
577				रतनगंज
578				देवरिया
579				लीलदा
580				जगमून्दा
581				डोडी
582				पाण्डुला
583				उरांसी
584				लक्ष्मीपुरा
585				मानपुरा
586				गुढासदावर्तिया
587				देवपुरा
588				रामगढ़
589				कालामाल
590				बीजन्टा
591				भामर
592				जीवनपुरा
593			रजलावता	रजलावता
594				छोंटी पडाप

595				बड़ी पड़ाप
596				रालड़ी
597				बम्बूली
598				अरनिया
599				गम्भीरा
600				खासपुरिया
601				भेरूपुरा
602				मानपुरा
603				रामपुरिया
604				सण्डीला
605				जगदीशपुरा
606				गम्भीरी
607			देई	देई
608				भजनेरी
609				मेणा
610				हरिपुरा
611				बालापुरा
612				चीतों की झौं0
613				मोडसा
614				हापोलाई
615				ढाढून
616				देवपुरा खानिका
617				बन्सोली
618				मुरडिया
619				मेंढकपुरा
620				मोहब्बतपुरा
621			जैतपुर	जैतपुर
622				किशनगंज
623				सुरली
624				तुॅम्बीपुरा
625				मीणों की झौं0
626				लाम्बाबर्डा
627				गुढागोपालजी
628				नन्दगॉव
629				मोतीपुरा
630				माणकचौक
631				सबलपुरा
632				लुहारपुरा
633				शास्ती
634				पीपल्या
635				चीपल्टा
636				सुसाडिया

637				माण्डपुर
638			गुढादेवजी	गुढादेवजी
639				डेलपुरा
640				गणेशपुरा
641				भवानीपुरा
642				कोलाहेड़ा
643				गाडरिया
644				देवपुरा
645				रेटोदा
646				गॉवडी
647				मालेडा
648				चकभवानीपुरा
649				खेरूणा
650				दलेलपुरा
651				बागड़ा
652				नाथड़ा
653				नाथड़ी
654				फूलेता
655				गुरजनिया
656				पाई
657			करवर	करवर
658				अरियाली
659				खजूरी
660				बावड़ी
661				खजूरा
662				पीपरवाला
663				अर्जुनपुरा
664				फटूकड़ा
665				जरखोदा
666				फतेहगंज
667				कलमिया
668			कैथूदा	कैथूदा
669				कांकरिया
670				सगतपुरा
671				बटावती
672				सूँसा
673				माणी
674				काशीपुरा
675				कुशालीपुरा
676				श्रीपुरा
677				कुम्हारिया
678				बिशनपुरा

679				हीरापुर
680				कल्याणीखेड़ा
681				कनकपुरा
682				बूढकरवर
683			तलवास	तलवास
684				देवपुरा
685				नयागॉव
686				भॅवरखोल
687				गुदली
688				फूलेता
689				रासहाली
690				सांगोदा
691				नीमखेड़ा
692				बंथली
693				हीरापुर
694				बॉसी
695				केमला
696				कोटड़ी
697				शेरिया
698				आंतरदा
699				संग्रामगंज
700				देवपुरा
701				केदारा की झौपड़िया
702				अरनेठा
703				सहण
704				खुरी
705				खेड़ी
706				बिहारीपुरा
707				शिवपुरा
708				शिवदानपुरा
709		हिण्डोली	हिण्डोली	हिण्डोली
710				अमरत्या
711				बालोला
712				चतरगंज
713				बरवास
714				अकलोड
715				कराडखेडी
716				पानीढाल
717				धनपुरा
718				सहसपुरिया
719				सलावलिया
720				सिंघाडी

721				रघुनाथपुरा
722				रामपुरिया
723			बडानयागांव	बडानयागांव
724				अशोक नगर
725				मांगलीखुर्द
726				खातीखेडा
727				जड का नयागांव
728				मांगलीकलां
729				टहला
730				डेरोली
731				बोरखेडा
732				गुढा
733				तुरकडी
734				चोहडा
735				बहादुरपुरा
736				रामी की झो.
737			सथूर	सथूर
738				ढाकणी
739				शोला की झो.
740				तालाबगांव
741				नठावा
742				हरीपुरा
743				रामपुरिया
744				बडौदिया
745				त्रिशुल्या
746				दाता
747				नाडाहेत
748				डाटून्दा
749				जहाजपुरीया
750				धेगन्या
751				नारायणपुर
752			थाना	थाना
753				फालेण्डा
754				बिशनपुरा
755				फतेहगढ
756				विजयगढ
757				नडावा
758				रलायता
759				तलोदा
760				नेहडी
761				गोकुलपुरा
762				रघुनाथपुरा

763				गोरधनपुरा
764				ब्राहमणों की झो.
765				टोंकडा
766				सुखपुरा
767				टरडक्या
768				चैनपुरिया
769			पेच की बावडी	पेच की बावडी
770				कालामाल
771				भीमगंज
772				मोतीपुरा
773				बीकरण
774				देवाकाखेडा
775				सेलादाता
776				पपराला
777				बीलकाखेडा
778				उमर
779				बटवाडी
780				बासनी
781				किशनगंज
782				पगारां
783				मालियो की झो.
784				हुवालिया
785				खजुर का नला
786			मेण्डी	मेण्डी
787				कचनारीया
788				गणेशगंज
789				लुहारीया
790				पायरा
791				सुखपुरा
792				काछोला
793				ओधन्धा
794				बावडीखेडा
795				रोशन्दा
796				देव डूंगरी
797				काबरी
798				हरणा
799				स्वरूपगढ
800			बसोली	बसोली
801				बान्डी का खेडा
802				सरोदडा
803				रूपपुरा
804				मराडी

805				ओवण
806				अमरपुरा
807				गुरजनिया
808				चावन्डिया
809				नेहडी की झो0
810				नेगढ
811				लादू
812				जैतपुरा
813				भवानीपुरा
814				रामपुरिया
815				जाखोलीकला
816				जाखोलीखुर्द
817				शीतला का खेडा
818				रीगंडदी
819				भुतपुरीया
820				खेरखटा
821				खेजडा
822				अबड
823				मरडीया
824				बंधा का खेडा
825				गोपालपुरा
826				खीण्या
827				खण्डेरीया
828				भोजगढ
829			दबलाना	दबलाना
830				आकोल्या
831				लोधा का झो.
832				अणदगंज
833				खटावदा
834				मुंडघसा
835				डाबला
836				रेण
837				धाबाईयो का नयागांव
838				होलासपुरा
839				रघुनाथपुरा
840				भवानीपुरा
841				शंकरपुरा
842				टांका की झो.
843				गोरस्या का खेडा
844			गोठडा	गोठडा
845				दुर्गापुरा
846				रोनीजा

RajKaj Ref No.:
22000129

847				धारधडी
848				छा.का नयागांव
849				सरसोद
850				पीपलवासा
851				कुम्हरला
852				ब्रा.का लुहारीया
853			अलोद	अलोद
854				कालाभाटा
855				बालापुरा
856				चेंता
857				ढगारिया
858				बीचडी
859				रघुनाथपुरा
860				बहादुरपुरा
861				धोवडा
862				खाटरोकाबाडा
863				नेत
864				रामनिवास
865			ठीकरदा	ठीकरदा
866				बोरखंडी
867				दलेलपुरा
868				जयनिवास
869				रा0 का खेडा
870				काबुल
871				नन्दगांव
872				धनाव
873				राजपुरा
874				बोरखेडा
875				आकोदा
876				सियाणा
877				बोरदा
878				फजलपुरा
879				भैरूपुरा आंतरी
880				कैशोपुरा
881				डाबेटा
882				सामरवाडी
883				दरा का नयागांव
884				विषधारी
885			रानीपुरा	रानीपुरा
886				रीशन्दा
887				सांवतगढ
888				निमोद

889				सोरण
890				बडौदिया
891				हरमाली का खेडा
892				खोढी
893				बडगांव
894				बाल
895				सूहरी

2.4 **<u>नदियां व बांध –</u>** जिले में पांच मुख्य नदियां चंबल, गज, मांगली तालेडा एवं धोडपछाड तथा लगभग 43 तालाब है। जिनमें फूलसागर, दुगारी झील, हिण्डोली का तालाब, नैनवां का तालाब , तलवास का तालाब, जैतसागर एवं नवलसागर प्रमुख है। इस क्षेत्र में चंबल परवन, कालीसिंध पार्वती आदि नदियां प्रमुख है। जिनमें वर्शाकाल में अत्यधिक मात्रा में पानी आता है और जल स्तर बढ जाता है। जिससे कभी–कभी बाढ के हालात बन जाते हैं। बून्दी जिले में चंबल, मांगली, घोडा पछाड आदि प्रमुख नदियां है। वर्शाकाल में लगाताार बारि ा होने के कारण इन नदियों तथा इन नदियों की सहायक नदियों में अधिक वर्शा जल आ जाने के कारण उक्त नदियों में जल स्तर बढ जाता है। और उक्त नदियां पूरे वेग से बहती है जिससे मिटटी का कटाव होता है।

जिले में प्रमुख बांध निम्न है–गुढा बांध एवं बाईं मुख्य नहर, बून्दी का गोठडा, बरधा बांध, दुगारी भीमलत, पाईबालापुरा, अभयपुरा,पेच की बावडी, रोनीजा,बटावदी, वांक्याखाल, बसोली, इन्द्राणी बांध, मोतीपुरा, मरडिया, नारायणपुरा, मेण्डी बांध, जैतसागर माछली आदि।

2.6 ***<u>परिवहन</u>*** **:–**

सडक मार्ग		रेल मार्ग	वायु मार्ग
ने ानल हाइवे	स्टेट हाइवे		
• NH52-MP द ाटोल–कोटा–बूंदी–जयपुर–फतेहपुर–हिसार	• SH 33- बूंन्दी–चितौडगढ–कोटा • SH 34-बून्दी–टोंक • SH 34- अजमेर–भीलवाडा–बून्दी– • पाली–नागौर	जिले में रेल यात्रा के लिए बूंदी रेलवे स्टे ान से राज्य व दे ा के अन्य जगहों पर यात्रा की जा सकती है।	जिले के नजदीक कोटा हवाई अडडा है।

2.7 जिला प्र ाासन की सूची

जिला स्तरीय अधिकारीगण–जिला बून्दी						
क्र.स.	नाम	पद	फोन(का.)	फोन(नि.)	मोबाइल नं0	ई–मेल
1		जिला कलक्टर, बून्दी	2443000	2443222		dm-bun-rj@nic.in
2	श्री राम किशोर मीणा	अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)	2443552	2443332	9660777538	adm-bun-rj@gov.in
3	श्री राम किशोर मीणा (कार्य)	अति0 जिला कलक्टर (सीलिगं) .	2442433	2442534	9660777538	admceiling2@gmail.com
4	श्री रवि वर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी	2443596	2443597	9413349977	pd-bun-rj@nic.in
5	श्री वैजनाथ भील (कार्य)	सहायक निदेशक, लोक सेवायें, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग बून्दी			9982161962	
6	श्री रवि वर्मा (कार्य)	अति0 मुख्य कार्य0 अधिकारी जिला परिषद,बून्दी	2443755	2442390	9413349977	aceobundi@gmail.com
7	श्री लक्ष्मीकान्त मीणा	उपखण्ड अधिकारी, बून्दी	2445458	2445459	9950067130	sdobundi@gmail.com
8	श्री भाग चन्द रेगर	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	7437. 257221		7409932261	sdm.nain.bun@gmail.com
9	श्री ऋतुराज शर्मा	उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन	7438. 264170	263300	7073570889	sdopatan@gmail.com
10	श्री शिवराज मीणा	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	7436. 276446		9948025092	sdohindoli@gmail.com
11	श्रीमती मनस्वी नरेश	उपखण्ड अधिकारी, तालेडा फै–2438691	2438056	8949175880	6378223315	sdm.talera@gmai

RajKaj Ref No.:
22000129

						l.com
12	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	7438. 262100		9214979102	sdolakheri@gmail .com
13	श्री बनवारी लाल बैरवा	सहायक कलक्टर, बून्दी			9001123300	
14	डा0 ए एन गुप्ता	मण्डल वन अधिकारी, बून्दी	2456823	2442814	9410992371	dfobundi@gmail. com
15	श्री अरूण कुमार डी	उपवन संरक्षक , रामगढ विषधारी अभयारण			7639045952	
16	श्रीमती चित्रा सिंह	कोषाधिकारी, बून्दी –9460609849	2443989	2442550	7023349849	to-bun-rj@nic.in
17	श्री विकास मीणा	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	2445543	2443599	9711135580	rajbun@nic.in
18	श्री अशोक कुमार	जेडी, डीओआईटी (ई–मित्र)	2445311		8826517172	dlo.doit.bundi@r ajasthan.gov.in bundi.doit.emitra @gmail.com
19	श्री मनीष मीना	लेखाधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर			9636908729	aocollectoratebu ndi@gmail.com
20	श्री वैजनाथ भील	मुख्य आयोजना अधिकारी, बून्दी			9982161962	cpo_bun@yahoo. com
21	श्री कैलाश चन्द मीना	उपनिदेशक, अभियोजन	2443179	9351051776	9460603940	adpbundi1@gmai l.com
22		परियोजना प्रबन्धक एस.सी.डी.सी.	2442305			bupmscdc@gmail .com
23	श्री देवराज रवि	जिला रसद अधिकारी, बून्दी	2442815		6377593841	dsofood-bun-rj@nic.in
24	श्रीमती रूचि अग्रवाल	प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति निगम			9460084421	
25	श्रीमती पूनम ढ़ाका	उपनिदेशक जिला सांख्यिकी कार्या. बून्दी	2442364		8952042485	dsobun.des-rj@nic.in
26	श्रीमती ऋचा चतुर्वेदी	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी	2443578	8949195085	9414238326	ddbundi.wcd@raj asthan.gov.in
27	श्री भैरू प्रकाश नागर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग	2456117	9982101544	8112257623	pobundiwe@gma il.com
28	श्रीमती जगजीवन	डी पी एम, राज0 ग्रामीण आजीविका मिशन	2442915		8875562955	dpm.bundi@yaho o.com
29	श्री श्योजी राम मीणा (कार्य)	प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्य ालय, बून्दी			9829171978	gmcbundi@gmail. com
30	डॉ ओ पी सामर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी –	2442895 ६ 2447327		9950430545	cmho-bun-rj@nic.in
31	डा कमलेश शर्मा	अति. मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि. (प0क0), बून्दी	2443914		9772588466	dycmho-bun-rj@nic.in
32	डॉ0 सतीश सक्सेना	मातृ एवं शिशु कल्याण अधि0 बून्दी	2447496		9982147567	ca_bndg@yahoo.i n
33	डॉ लक्ष्मी नारायण मीणा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी	2443456	9588233103	9414331507	pmo-bun-rj@nic.in
34	डॉ0 मालती पारीक (कार्य)	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बून्दी	2444053		9414936382	daoayur@gmail.c om
35	श्रीमती योग्यता सिंह	त्व च्ठ ;च्वसनजपवद ब्वदजतवस ठवंतकद्ध	2443516		7340044567	rorpcb.bundi@g mail.com
36	डॉ0 कुलदीप	प्रभारी, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, बून्दी	2442563	2446555	8668890662	dtorjbdi@rntcp.o rg

37	श्री राहुल माथुर	डीपीएम, एनआरएचएम	2444169		9829572513	dpm.bundi@yahoo.com
38	डॉ0 नील कमल सक्सैना	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बून्दी	2442816		9414485231	ddah_bundi@yahoo.com, jd.bundi.ah@rajasthan.gov.in
39	डॉ अनिता यादव	आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	2445415	9024249031	9057540580	pgcbundi@yahoo.com
40	डॉ संदीप यादव	आचार्य, कन्या महाविद्यालय, बून्दी	2443477	8824466330	9413271066	ggcbnd95@gmail.com
41	श्री तरूण सिंह	प्रधानाचार्य, प्राविधिक महाविद्यालय, हट्टीपुरा, बून्दी			9460318756	
42	श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा	प्राचार्य नवोदय विद्यालय, बून्दी 7005363223	2435606	2435587	9460526822	jnvbundi.9@gmail.com
43	श्री कुंज बिहारी भारद्वाज(कार्य)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	2970019		9636632658	cdeo.bundi.dse@rajasthan.gov.in
44	श्रीमती प्रीति बाला शर्मा (कार्य)	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (मा0), बून्दी	2442842		9414309434	dsebundi@gmail.com
45	श्री कुंज बिहारी भारद्वाज	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), बून्दी	2442909		9636632658	deoele.bnd@gmail.com
46	श्री उमा शंकर विजय	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, रजत गृह, बून्दी	2940161		9414607194	kvbundi@gmail.com
47			2443843			dietbundi@yahoo.in
48	श्री योगेश शर्मा	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बून्दी			9214431180	
49	श्री दिलीप गुर्जर (कार्य)	अति0 जिला परियोजना समन्वयक ,समग्र शिक्षा अभियान	2442318		6376232505	adpcrmsabundi@gmail.com
50	श्री हरदेव सिंह बाजिया	उप निदेशक छत्रपुरा फार्म बून्दी	2442368		9414469061	ddagr_atcbundi@rediffmail.com
51	श्री दुर्गालाल मौर्य	उप निदेशक औद्यानिकी ,सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र			9414352265	ddagr_bun@rediffmail.com
52	श्री पांचु लाल	उप निदेशक , उद्यान	2442057		94147 35332	adh.bun.hort@rajasthan.gov.in
53	श्री कौशल कुमार सोमाणी	परियोजना निदेशक, आत्मा	2445497	9414029586	7976094883	ddagr_bun@rediffmail.com
54	श्री राजेश शर्मा	संयुक्त निदेशक, कृषि, बून्दी	2442006		9414276043	
55	श्री मुकेश माली	सहायक निदेशक कृषि, बून्दी			9602628977	
56	श्री शिवराज खटीक	जिला विस्तार अधिकारी,सी.ए.डी.बून्दी			9414473990	
57	श्री मुकेश गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता सार्व0 निर्माण विभाग बून्दी	2445885	₹.2446978	7976773305	piu_bundi@rediffmail.com
58	श्री राजकुमार राजोरिया	अधिशाषी अभियन्ता, आरएसआरडीसी			9602095362	
59	श्री सी पी गुप्ता	अधीक्षण अभियंता, जविविनिलि, बून्दी	2445424	9414029421	9414022089	sebundi@gmail.com, sebundiraj@jvvnl.org
60	श्री राजेन्द्र बैरवा	अधि0 अभि0,रिवाईन्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (त्वै)		9413390764	9784657321	
61	श्रीमती दीप्ति पाटनी	अधिशाषी अभियन्ता, आर.यू.आई.डी.पी., बून्दी	2445629		9462014618	bundi.ruidp@rajasthan.gov.in

62	श्री शेखर चन्द्र मीणा	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम बून्दी	2443760	2443985	8058268259	pwd_bundi@rediffmail.com
63	श्री हरिराम मीणा	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम नैनवा	7437. 257529	91667 23116	9950068750	pwd_nainwan@rediffmail.com
64	श्री एस के सिंहल	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम लाखेरी	7438. 261122		9462111122	pwd_lakheri@rediffmail.com
66	श्री आर के बैरवा	अधि0 अभि0 जयपुर विधुत वितरण निगम, बून्दी	2443770		9413390764	xend1jvvnlbundi@gmail.com, xend1bundi@jvvnl.org
67	श्री कुलदीप	अधि0 अभि0 ज0 वि0 वि0 नि0 लि0–ाा बून्दी	2442078		9414022952	xendviibundi123@gmail.com, xend2bundi@jvvnl.org
68	श्री विनोद गोठवाल	अधि0अभि0, 220 केवी, जीएसएस, सीलोर रोड			9414061092	
69	श्री सुनील कुमार शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग बून्दी	2456448	2456447	9414521957	eephedbundi@gmail.com
70	श्री हरेन्द्र किराड (कार्य)	अधि0 अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग बून्दी			9887227081	
71	श्री हरेन्द्र किराड	अधि0 अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग लाखेरी			9887227081	
72	श्री सर्वेश्वर	अधि0 अभि. जन स्वा0अभि0विभाग (प्रो.डि.)बून्दी			9782671390	
73	श्री जसराम	अधीक्षण अभियन्ता, वाटर शेड, जिला परिषद	2456107		9950671149	sewdsc.bundi@rajasthan.gov.in
74	श्री रोहित बगेरा	अधि.अभि.जल संसाधन वि0 बून्दी	2443428		9660032309	eewrd_bnd@rediffmail.com
75	श्री जम्बू जैन	उपमहाप्रबन्धक, ईआरसीपी,बून्दी			7296895648	ercpc.spiubundi@gmail.com
76	श्री रामरूप मीना	अधि0 अभि0 जल संसाधन परियोजना खण्ड गरडदा	2444014	2446135	8005963505	
77	श्री अरविन्द मीणा	अधि0अभियन्ता सी.ए.डी.,बून्दी	2442570	2447377	98876 81771	lmccadbundi@gmail.com
78	श्री नमोनारायण	अधि0अभियन्ता सी.ए.डी., के0पाटन			9929338892	xencadkpatan@gmail.com
79	श्री संजय मोदी	अधि0 अभियन्ता नरेगा जिला परिषद			7877355655	mgnregabundi@gmail.com
80	श्री प्रियव्रत सिंह	अधि0 अभियन्ता अभियांत्रिकी जिला परिषद	2444018	8112213052	9414278112	
81	श्री अवधेश मीणा	अधि0 अभियन्ता (जल संसाधन) जिला परिषद		9660650979	8290306769	
82	श्री सी पी गोयल	अधि0 अभियन्ता, ओएफटी के0पाटन			9414297033	
83	श्री सत्यवान शर्मा	प्रभारी अधिकारी, आपदा, बालविवाह, विधानसभा नियंत्रण कक्ष, बून्दी	2442305		9414281696	cmhobundiso@gmail.com
84	श्री अमजद (कार्य)	सहायक अभियन्ता,आवासन मण्डल	2456567		9982957860	dhckota@rhbmail.in
85	श्री प्रशान्त बेदवाल	खनि अभियन्ता खनिज, प्रथम –	2457840	2444909	9587513162 7976722105	me.bundi1@rajasthan.gov.in
86	श्री सहदेव सारण	खनि अभियन्ता खनिज द्वितीय	2457100		86961 29481	me.bundi2@rajasthan.gov.in

87	श्री रामनिवास मंगल	खनि अभियन्ता खनिज तृतीय– इन्द्रगढ क्षेत्र			9828897860	
88	श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रृंगी	आयकर अधिकारी, बून्दी	2444799		9530400598	bundi.ito@incometax.gov.in
89	श्री निजामुद्धीन	डीपीसी,स्वच्छ भारत मिशन,जिला परिषद,कलक्ट्रेट	2442110	2945068	9829266183	sbmzpbundi3@gmail.com
90	श्री राजेश अरोडा	अधीक्षक, सी.जी.एस.टी, रजत गृह, बून्दी	2456088		9414248754	
91	श्री सत्यनारायण मीणा	वाणिज्य कर अधिकारी, बून्दी	2443731		9414696904	
92	श्री संजय भारद्वाज	सहायक आयुक्त, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बून्दी	2456813	2457701	9116505388	gmdicbnd@rediffmail.com
93	श्रीमती सौम्या शर्मा	जिला परिवहन अधिकारी, बून्दी	2443420		9643939001	dto.bundi.tport@rajasthan.gov.in
94	श्री प्रेम शंकर	पर्यटन अधिकारी, बून्दी	2443697		9928623304	tibbundi-dot@rajasthan.gov.in
95	श्री राकेश कुमार वर्मा	सहा0निदे0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बून्दी	2443751		8209571565	dlo.bun@rajasthan.gov.in
96	श्री हुकम चंद जाजोरिया (कार्य)	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, बून्दी			9680938985	dcpubundi@gmail.com
97	श्री हुकम चंद जाजोरिया (अति0 प्रभार)	अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह बून्दी		9413761055	9680938985	
98	श्री हुकम चंद जाजोरिया (अति0 प्रभार)	संरक्षण अधिकारी(संस्थागत देखभाल), डीसीपीयू, बून्दी		9413761055	9680938985	
99	डॉ0 लखन लाल मीणा	मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी, बून्दी	2442346		8828467324	fpobundi@gmail.com
100	श्री बी एल मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी	2457249		8290979439	deobundi@rajexcise.net
101	श्री भैरू प्रकाश नागर (कार्य)	जिला नियोजन अधिकारी, बून्दी	2443112	9982101544	8112257623	dgo.bun.emp@rajasthan.gov.in
102	श्री गोपाल सिंह मीणा	सहा0 निदेशक राज्य बीमा एवं प्राव0 निधि बून्दी	2443735		9460592988	ad.bun.sipf@rajasthan.gov.in
103	श्री मुकेश मोहन गर्ग	प्रबन्ध संचालक,दी बून्दी से0 कॉप0बैंक लि. बून्दी	2447102 ६ 2443483	8619530103	9414912093	bccbbnd@yahoo.com
104	श्री मुकेश मोहन गर्ग (कार्य)	उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, बून्दी	2443957		9414912093	arcsbundi@gmail.com
105	श्रीमती अनुप्रिया	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	2444847	2970030	9468606522	dipr.bundi@rajasthan.gov.in
106	श्री कान्ति कुमार मीणा	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी–	2443704	2447712	8905728456	apmcbundi@yahoo.in
107	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, के0पाटन	264243		9346705805	
108	श्री कान्ति कुमार मीणा(कार्य)	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, सु0मण्डी	253815		89057 28456	
109	श्री श्याम सुन्दर	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, देई	2457911		7976833584	
110	श्री राजीव गुप्ता	लीड बैंक आफिसर, बैंक आफ बडौदा 2443342	2443706		80940 07114	ldm.bundi@bankofbaroda.com
111	श्री राजकुमार	जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड, गायत्री नगर	2444935	2444935	9459587810	ddm.bundi.nb@g

						mail.com
112	श्री प्रमोद शर्मा	मेनेजर सर्किट हाउस, बून्दी	2443149	2443149	9818832172	chbundi@gmail.com
113	श्री घनश्याम गोड	मुख्य प्रबन्धक, राज0राज्य पथ परिवहन निगम	2443482	8696349552	9549653310	rsrtc.cmbnd@gmail.com
114	श्रीमती अंकिता महर्षि	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	2442012		7976614153	labourofficebundi@gmail.com
115	श्री फूल चन्द मीणा	उपनिदेशक, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बून्दी	2456641		9414774630	
116		अधीक्षक औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाखेरी	261332			
117	श्री चन्द्रकांत बाकल	निरीक्षक फैक्ट्री एवं बायलर	2457345		9414800337	
118	श्री राकेश कुमार रंजन	प्रबन्धक राज0 स्टेट वेयर हाउस कार्पो0	2443485	9636636482	9413385753	rswc.bundi@ssll.in
119	श्री मनोज मीणा	प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम	2443705		8385927428	
120	श्री राजेश गुप्ता	क्षेत्रिय प्रबन्धक ;त्प्ब्द्ध	2444650		7014875520	
121	डॉ नीरज हाडा	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	2457162	2456343	7976126864	89896 95172
122	श्री रामराय मीणा	तहसीलदार नैनवां	7437. 257229	9530320712	7062707419	tehsildarnainwan@gmail.com, tehsildar.nainwa@gmail.com
123	श्री रवि शर्मा	तहसीलदार, के0 पाटन	7438. 264652		7976205509	tehsilkpatan@gmail.com
124	श्री रतन लाल मीणा	तहसीलदार, हिण्डोली –	7436. 276226		9413129952	tdrhindoli@yahoo.in
125	श्री राम भरोस (कार्य)	तहसीलदार, इन्द्रगढ–	7458. 253854		8824754454	tehsildarindergarh@gmail.com
126	श्री अर्जुन लाल मीणा	तहसीलदार, बून्दी	2443651	94139 60508	9352168536	tdrbundi@gmail.com
127	श्री बनवारी लाल शर्मा	तहसीलदार, तालेडा	2438353		9783264679	
128	श्री नरोत्तम मीणा	तहसीलदार, रायथल		6377870729	7737300364	
129	श्री दुष्यन्त सिंह (कार्य)	तहसीलदार, भू0अभिलेख			8239111177	
130		तहसीलदार, निर्वाचन				
131	श्री दुष्यन्त सिंह (कार्य)	उप पंजीयक	2443651 च च		8239111177	
132	श्री सचिन पाटोदिया (कार्य)	जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत बून्दी	2940290		9461147008	
133	श्री हर्षवर्धन सिंह (कार्य)	खेल अधिकारी			9784350006	harshwardhanchundawat06@gmail.com
134	सुश्री आशा मीणा	आयुक्त, नगर परिषद, ,बून्दी 8441943360	2443903	2442331	7014803529	bundipalika@gmail.com
135	श्री प्रवीण कुमार शर्मा	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, कापरेन	7438. 265434		8094955941	npkapren@yahoo.com
136	श्री ब्रजभूषण शर्मा (कार्य)	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, नैनवा	7437. 257246	थ257888	7014717618	nnagarpalika@gmail.com
137	श्री ब्रजभूषण शर्मा	अधि0 अधि0 नगरपालिका, इन्द्रगढ–	7458. 253583	253644	7014717618	npindragarh1008@gmail.com

138	श्री नरेश राठोड	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, लाखेरी	7438. 261627	₹.261270	9462046313	nagarpalikalakheri9@gmail.com
139	सुश्री पूर्णिमा शर्मा	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, केपाटन	7438. 264346	9079983155	9587445238	npalika3@gmail.com
140	श्री जितेन्द्र मीणा	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, हिण्डोली			6376742247	eo.hindoli@gmail.com
141	श्री ब्रजभूषण शर्मा (कार्य)	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, देई			7014717618	
142	श्री मनोज जैन (कार्य)	विकास अधिकारी प0स0 बून्दी	2445008		9166620300	bdomem@gmail.com, bdo.bun.bun@gmail.com
143	श्रीमती नीता पारीक	विकास अधिकारी प0स0 तालेडा	2438466		9460434293	bdo.bun.tal@gmail.com
144	श्री भानू प्रताप सिंह	वि0 अधिकारी प0स0 के.पाटन	7438. 264231		9540940470	bdo.bun.kpat@gmail.com
145	श्री नरेन्द्र झाला	विकास अधिकारी प0स0 नैनवां	7437. 257225		7073777950	bdo.bun.nan@gmail.com
146	श्री संजय मोदी (कार्य)	विकास अधिकारी प0स0 हिण्डोली	7436. 276227		7877355655	bdo.bun.hin@gmail.com
147	श्री आदित्य सिंह	सी.डी.पी.ओ. बून्दी			9694580570	
148	श्री विपुल शुक्ला	सी.डी.पी.ओ. तालेडा	2438482		8058992238	
149	श्री मोहनीश	सी.डी.पी.ओ. नैनवा			9530021761	
150	श्री शीशराम कुल्हरी	सी.डी.पी.ओ. हिण्डोली			9829798640	
151	श्री विपुल शुक्ला	सी.डी.पी.ओ. के0 पाटन	264397		8058992238	cdpokpatan@gmail.com
152	सुश्री नाहिदा	जिला अल्प संख्यक अधिकारी			9079863382	bund.mino@gmail.com
153	श्री प्रताप सिंह मीणा	प्रभारी भू–जल वैज्ञानिक			9509083009	
154	श्री नरेश मीणा	सहायक लेखाधिकारी, कलैक्ट्रेट,			8560988090	
155	श्री शिव कुमार	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,		9352212885	9414441281	
156	श्री हर्षित शर्मा	नायब तहसीलदार, तहसील, तालेडा	9530320 716		9610100813	
157	श्री बलवीर सिंह	नायब तहसीलदार, तहसील, बून्दी			9414986673	
158	श्री लीलाधर चौहान (कार्य)	नायब तहसीलदार, तहसील, नैनवां	9530320 713		8000993931	
159	श्री ललित मोहन सैनी	नायब तहसीलदार, तहसील, के0पाटन				
160	श्री कंवर प्रसाद दाधीच	नायब तहसीलदार, तहसील, हिण्डोली			9413085485	
161	श्री रामभरोष मीणा	नायब तहसीलदार, तहसील, इन्द्रगढ			8824754454	
162	श्री कैलाश नारायण	नायब तहसीलदार, उप तहसील, करवर	9530320 717		7014806294	
163	श्री रामकिशन मीना	नायब तहसीलदार, उप तहसील, दबलाना			8107802074	
164	श्री जगदीश शर्मा	नायब तहसीलदार, उप तहसील, लाखेरी			9950365291	

165	श्री लीलाधर चौहान	नायब तहसीलदार, उप तहसील, देई			8000993931	
166	श्री राजेश जैन	नायब तहसीलदार, उप तहसील, कापे्रन		81144 00759	9829503592	
167	श्री अनिल कुमार धाकड	नायब तहसीलदार, उप तहसील, डाबी	9530320 775		8078617562	ntdrdabi@gmail.com
168	श्री भूपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा			9460665004	
169	श्री रामदेव खरेडिया	नायब तहसीलदार, उप तहसील,रायथल			9950662805	
170	श्री शिव शंकर	डी एस सी, राज0 कौशल एवं आजीविका मिशन त्ैस्क्ड	2442510		9929386144	
171	श्री हुकुम मीणा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नैनवां	9928119 399			beeonainwa2010@gmail.com
172	श्री गोविन्द प्रसाद मीणा (कार्य)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तालेडा	9414847 193			beeotalera@gmail.com
173	श्रीमती अनीता मीणा (कार्य)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, हिण्डोली	7568454 567			rajssa_hindoli@yahoo.com
174	श्री चन्द्र प्रकाश मेघवाल	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, के0पाटन	9784674 848			beeokpatan@gmail.com
175		मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी				beeobundi@rediffmail.com
176	श्री अशोक बंजारा	निदेशक, बडोदा स्व0 विकास संस्थान त्ैम्ज्ै	2457474		8094004570	
177	श्री हुकुम चंद जाजौरिया	परिवीक्षा अधिकारी, सम्प्रेषण गृह, बून्दी		9413761055	9680938985	
178	श्री राम स्वरूप वर्मा	उप कोषाधिकारी, हिण्डोली	07436. 276223	276248	7073069191	
179	श्री सत्यनारायण गोस्वामी (कार्य)	उप कोषाधिकारी, के0पाटन	07438. 264705		9414595239	
180	श्री जीतमल (कार्य)	उप कोषाधिकारी, नैनवां	07437. 257768		94149 63145	
181	श्री जीतमल	उप कोषाधिकारी, इन्द्रगढ	07458. 253850		9414963145	
182	श्री सत्यनारायण गोस्वामी	उप कोषाधिकारी, तालेडा			9414595239	
183	श्री राममोहन श्रृंगी	उप कोषाधिकारी, बून्दी			9413419755	
184	श्री आशुतोष गुप्ता	निरीक्षक, देवस्थान विभाग		9465790121	9877613060	
185	श्री जगदीश वर्मा	संग्रहाध्यक्ष, राजकीय, संग्रहालय, बून्दी	0744. 2328447		8104602371	
186	डा0 मोनिका सोनी	डी एम, एनयूएलएम			7733094104	
187	श्री सुरेन्द्र कुमार	सी ओ, भारत स्काउट		8560954295	9414954295	bundiscout@yahoo.com, bundiscout@gmail.com
188	श्री गिरधारी लाल शर्मा	डी ओ , हिन्दुस्तान स्काउट			9460195862	shgbundi@gmail.com
189	सुश्री कृतिक पाराशर	सी ओ गाईड			6377043834	
190	श्री संदीप अग्रवाल	पीडी एनएचआई, पीडी सवाई माधोपुर, कोटा		2970048–9	8130006149	piusawaimadhopur@nhai.org]

						kota@nhai.org
191	श्री गोविन्द सिंह	एस.ई एनएचआई एन एच 52 एवं 148 डी, कोटा			7737271160	
192	श्री राहुल	रीडकोर सवाई माधोपुर			8905994153	
193	श्री अजय चौघरी	एस ई एनएच कोटा			9414180458	

भाग – III

3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (त्मअपेमक म्कपजपवद 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (त्मअपेमक म्कपजपवद 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी	वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	–	–
2.	संचार सेवा	114	8
3.	वार्डन सेवा	674	32
4.	अग्नि ामन सेवा	5700	92
5.	प्रशिक्षण सेवा	6793	10
6.	हताहत सेवा	275	32
7.	बचाव	192	23
8.	साल्वेज सेवा	54	0
9.	पूर्ति सेवा	40	0
10.	डिपो व परिवहन सेवा	28	0

11.	कल्याण सेवा	336	0
12.	शव निपटान सेवा	36	0
	योग	14242	197

नॉट :– रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेठी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है :–

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा
3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथ ही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त जन–जागरुकता कार्यक्रम (Public Awarness) एवं सामुदायिक क्षमतावर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

3.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(ए) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :–

क्र.सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नंबर	
			आफिस	घर
1.	मुख्यालय	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा		
2.	संचार सेवा	दूर संचार जिला प्रबन्धक		
3.	वार्डन सेवा	उपखण्ड अधिकारी, ...		
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त, नगर परिषद्, ...		
5.	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, ...		
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, ...		
7.	बचाव	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग,		

		..... ।		
8.	साल्वेज सेवा	तहसीलदार, बाड़मेर		
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी, ...		
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी, ...		
11.	कल्याण सेवा	सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग		
12.	शव निपटान सेवा	सेन्ट्री निरीक्षक, नगर परिषद्, ...		

4. <u>मुख्यालय सेवा (Headquarter Service)</u> – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत नियत्रंक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बधित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेन्द्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

4.1 **<u>नियंत्रक (Controller)</u>** – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का ''नियंत्रक'' नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप–नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देनें एवं इसकी जानकारी उच्च–अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।

- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

4.2 <u>मुख्यालय सेवा के कर्तव्य</u> :– नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागो मे बॉटा गया है:–

(क) <u>शान्तिकाल में कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिको का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षैत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढांचे मे परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय मे डीजल, पैट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्टस की मॉग बढ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष मे बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D..में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने मे मदद लेना।

(ख) <u>चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धो के संबधं मे विस्तार से जानकरी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।

- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानो के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को–ओर्डीनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्तरूप मे तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

(क) <u>युद्व काल में कर्तव्य</u> :–

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय–समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल पैट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।

- समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।

5. संचार सेवा (Communication Service) _

5.1 **चेतावनी प्रणाली** :–नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 **नियत्रण कक्ष** – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्व संबंधी सूचनाऐं एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्व/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में ''**नियंत्रण कक्ष**'' स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

5.3 **चेतावनी प्रणाली** – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव मे समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेगें। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :–

5.3(क) **बाह्य चेतावनी प्रणाली** (**External Warning System**):– चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना उतरलाई के नियन्त्रण कक्ष ''एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)'' से ''टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (TCDCC) ..... को दी जाती है।

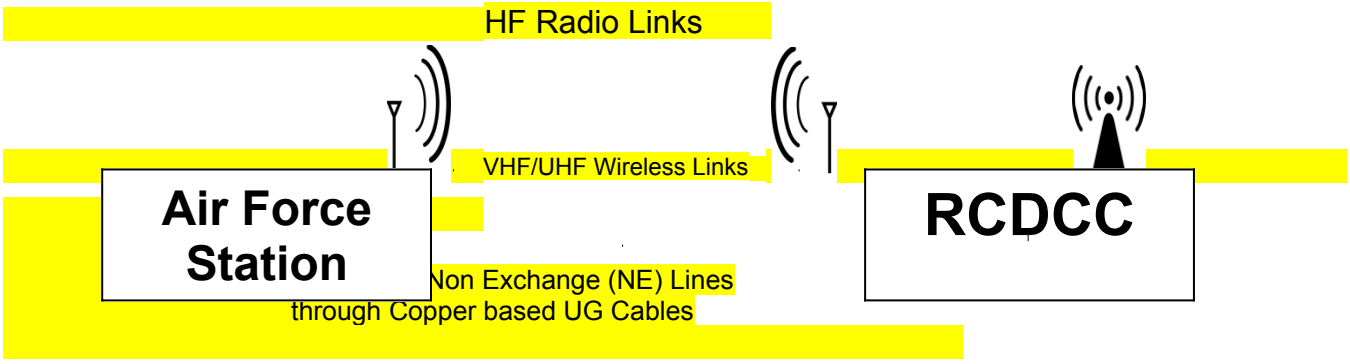

RajKaj Ref No.:
22000129

TCDCC 1 **TCDCC X**

5.3(ख) **<u>आन्तरिक चेतावनी प्रणाली</u>** – बाह्य चेतावनी प्रणाली से प्राप्त सूचनाऐं स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर ।त्र यंत्र (Air Raid Precausion Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाए प्रसारित की जाती है।

(प) टेलीफोन

(पप) विद्युत सायरन

<u>Internal Communication Schema</u>

Air Raid Warning message from IAF/RCDCC

RCDCC / TCDCC

Air Raid Sirens

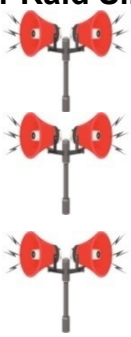

PBX/ PABX/

BSNL exchange

Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

5.4 **<u>नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन</u>** :– समय–समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते है। राज्य

सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों मे विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार हैः–

टेलीफोन :–

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिंविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटि' प्रदत की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा ''साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी'' द्वारा प्रदत कराई जाती है।

वायरलैस :– नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

मोटरसाईकिल :– आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

5.5 चेतावनी प्रणाली के संदेश – नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं सदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनो पर सीमित शब्दो के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :–

हवाई हमला चेतावनी संदे ा	कार्यवाही	किसके लिए होगा
''पीला''	तैयारी संदे ा	केवल संबधित अधिकारियों को दिया जाना है।
''लाल''	खतरे का संदे ा	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''हरा''	खतरा टलने का संदे ा	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''सफेद''	हवाई हमला चेतावनी संदे ाों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदे ा की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

6. वार्डन सेवा (Warden Service)

6.1 वार्डन सेवा संगठन – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रुप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरुक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यो को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :–

क्र.सं.	वार्डन पदनाम	जनसंख्या/अन्य आधार	
		नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	मुख्य वार्डन	जिला स्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिला स्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आव यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों

RajKaj Ref No.:
22000129

			(आव यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आव यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।			

6.2 **<u>वार्डन के कर्तव्य</u>** – वार्डन अपने क्षैत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यो के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :–

हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य	**हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य**	**हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य**
• वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकरी रखता है। • वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है। • वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है। • वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्ररित करता है। • वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षिण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षिण अधिकारी को देता हैं। • वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय–समय पर देता है। • वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु	• वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है। • वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है। • वार्डन अपने क्षेत्र मैं सायरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है। • घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों का कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।	• वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकरी लेता हैं। • वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है। • वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आंतक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है। • वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है। • वार्डन निंरतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।

''सैल्फ हैल्प पार्टी'' तैयार करता हैं।		

7. <u>अग्नि शमन सेवा (Fire Service)</u> – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुघर्टनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटनें के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

7.1 गृह अग्नि शमन दल (House Fire Party) – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

7.2 **<u>ट्रेलर पंप पार्टी</u>** – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – बडी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर–बिग्रेड कार्यरत हैं।

8. <u>प्रशिक्षण सेवा (Training Service)</u>–किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओ पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यो में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

8.1 <u>नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्धेश्य</u>

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन मे सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्व के समय नागरिक सुरक्षा कार्यो का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।

- स्वयंसेवको को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता मे अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्तपन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक–सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप मे सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सके।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन–जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

8.2 **<u>प्रि ाक्षण की नीति</u>**

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
• बुनियादी प्रशिक्षण • सेवा प्रशिक्षण • सयुक्त प्रशिक्षण	• नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर • हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर	• राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्य ालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर • केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर • राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली
नॉट :– इसके साथ ही पुन चर्या प्रि ाक्षण भी प्रतिपादित होना आव यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रि ाक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडे ान हो सके।		

9. <u>हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service)</u> – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :–

9.1 **<u>स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u>** – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी

जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 **<u>प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)</u> –** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 **<u>मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> :–** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

9.4 **<u>अस्पताल सेवायें</u>** :–आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10. <u>बचाव सेवा (Rescue Service)</u> – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालनें तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

10.1 **बचाव कार्य –** हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकि (भवनों की बनावट से सम्बधित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन –** जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पंहुचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, **प्र**ति **5**0,000 की जनसख्या के

आधार पर आपदा व बचाव कार्यो में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

11. <u>निस्तारण सेवा (Salvage Service)</u> – नागरिक सुरक्षा का उद्वेश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोडने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

11.1 **<u>निस्तारण सेवा के कर्तव्य</u>** :– हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :– घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

12. **पूर्ति सेवा (Supply Service) –** नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाऐं, प्रक्रियाऐं आपातकालीन समय मे कई दिशाओ में भिन्न–भिन्न कार्यो के लिए होती है, जैसे –आगजनी, मलबे

मे फंसे व्यक्त्यिों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाऐं देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यो के लिए विभिन्न तकनीकि/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने–पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

13. डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)

13.1 **डिपो सेवा** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते है, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरजंन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान मे रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस–पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो मे उपलब्ध सेवायें – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यो के दक्ष स्वयं सेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते है। डिपो में रहने वाली सेवाऐ निम्नानुसार है।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ

RajKaj Ref No.:
22000129

- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

RajKaj Ref No.:
22000129

13.2 <u>ट्रान्सपोर्ट सेवा</u> – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्व/आपदा के दौरान स्वयंसेवको को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :–

- नागरिक सुरक्षा के कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरूस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नही है तो नियमानुसार ढॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

14. <u>मृतक निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)</u> – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी–कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं–

- सीधे दुर्घटना की चपेट मे सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्व रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु ''मृतक निवारण सेवा'' गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।

RajKaj Ref No.:
22000129

- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड मे रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :–

(अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
(ब) शव के वस्त्र का विवरण।
(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
(य) मृतक की ऊगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

15. <u>कल्याण सेवा(Welfare Service)</u> – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पंहुचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता हैं ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यो हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :–

- **सूचनाऐं एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

15.1 <u>कल्याण सेवा के कार्य</u>

(अ) सूचना एवं प्रसार :– सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सुचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाऐं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

RajKaj Ref No.:
22000129

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यो की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना ।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) प्रसारण वाहन – आपातकाल में सूचनार्थ लेने–देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

(स) आश्रय स्थल – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यो हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बडे पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(द) आपातकाल भोजन केन्द्र – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुघ र्टिना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैन्टीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :–

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैन्टीन
सहायक	–	3 प्रति कैन्टीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :– हाउसिंग एवं बिलेटिग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही

RajKaj Ref No.:
22000129

की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाऐं जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

भाग – IV

16. **निष्क्रमण (Evacuation)** – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'म्अंबनंजपवद' है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :– संकट से पहले व संकट से बाद।

16.1 **संकट से पहले** – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन–जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहॉ क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी।

16.2 **संकट के बाद** – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

16.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक–अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेगें तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाऐं नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायान किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने–जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुच सकते, भगदड से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओ द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ सकते है।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते है, विशेषतः बच्चो का गुम हो जाना।

RajKaj Ref No.:
22000129

- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

16.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

16.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाऐं एकत्रित करने, सरकार को सूचनाऐं देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नाकित है :–

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैट करेंगे। वित व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकरियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बानाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे । लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- **लेखाधिकारी** :– कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :– कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यो की जिम्मेदारी होगी। इनके

RajKaj Ref No.:
22000129

कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होगे।

- **चिकित्सा सहायता** :– सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

16.7 **विधुत कार्य** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबधित कार्य विधुत विभाग को आंवटित होगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

16.8 **जलदाय** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमाडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

17. रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :–

- अधूरे ढ़हे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढ़ह सकते हैं, इससे आस–पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घ टना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते है तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयर दल का गठन** – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए

RajKaj Ref No.:
22000129

आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :–

(क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटैरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।

(ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नही बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान मे रखी जानी चाहिए।

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :–

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 **<u>सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना</u>** – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तो पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 **<u>मकानों को गिराना</u>** – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

RajKaj Ref No.:
22000129

18. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव** – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

19. पशुओं की देखभाल – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अत : नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :–

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने मे आपातकालीन समय मे उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

RajKaj Ref No.:
22000129

20. <u>प्रकाश नियन्त्रण</u> – इतिहास मे पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण है – पहला ''रात्रि के अन्धकार मे शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्वेश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है''। दूसरा ''सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त–व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है''। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उॅचाई से उसके उद्वेश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्वेश्यो की पूर्ति मे बाधक बन सकता है। प्रकाश नियत्रणं व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागो में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउॅट करना जिसमें ऊॅचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियत्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

20.1 <u>भवन की प्रकाश व्यवस्था</u>

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नही देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो कॉच के होते है गहरे भूरे रंगे के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नही लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों मे संध्या समय के बाद कम दर की विधुत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

20.2 <u>सड़क पर प्रकाश व्यवस्था</u>

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज मे फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

RajKaj Ref No.:
22000129

20.3 **<u>वाहनों की प्रकाश व्यवस्था</u>**

- चोपहिया वाहन :– किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विधुत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियो के डिब्बो मे विधुत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होन चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियत्रंण मे रखना अवाश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियत्रंक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेगे।

RajKaj Ref No.:
22000129

भाग – V

21. <u>रासायनिक युद्ध (Chemical Warfare)</u> – रासायनिक युद्ध उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्वेश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

21.1 <u>रासायनिक गैसों का वर्गीकरण</u> :– रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क्र.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पडने वाले प्रभाव
1.	**तांत्रिक** ● टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है। ● सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।	अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है। गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है।	देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।
2.	**व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप)** ● मस्टर्ड गैस,तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, कपडे लकडी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है।	लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।	वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घ ाण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है। **वाष्पन** : नाक, आंखों और फैफड़ों में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर

RajKaj Ref No.:
22000129

	• लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।	जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। **द्रव** : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	**श्वास रोधी गैसे** • फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती।	गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरूचिकर हो जाता है।	जीवन क` लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घ ण्टे में दिखाई पडने लगते है। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।
	• डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। • युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नही होती। • क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्शील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।	फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है। विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है। तीखी गंध होती है।	इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पत्र करते है और कम जहरीलें होते है। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है अधिक हानिकारक होते है।
4.	अश्रु गैस • के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है।चिर स्थायी होती है। • बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है प्रभावो द्वारा पहचान की	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता। इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी

RajKaj Ref No.:
22000129

	होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। • सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । • नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी. सी) सामान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती।	जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है। प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है केवल प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है	प्रकार का खतरा नहीं होता)। आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है। छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।

22. **<u>जैविक युद्ध (Biological Warfare)</u>** – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 **<u>जैव युद्ध का उद्धेश्य</u>** :–

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रुप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 **<u>नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव</u>** – किसी भी राष्ट्र मे युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्व की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यो के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की

RajKaj Ref No.:
22000129

सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक ''नासा पैड'' प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूंषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	**पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग**	**पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग**
<u>जीवाणु</u> : • वैंसीलस एन्थरेसिस (गिलटी) • साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) • पास्बुरेला पेस्टिस (प्लेग) • थिब्रियो कॉमा (हैजा)	**जीवाणु** : • वैसीलब एन्थेसिए (गिलटी) • ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) **विषाणु (वाइरस)** :	• हैलमिन्थोस्पोरयम ऑरिजेई (चावल पर) • पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) • कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

RajKaj Ref No.:
22000129

विषाणु (वाइरस) : • एन्फ्ल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा) • संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) • मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) **रिकेट्रिसया** : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस) **जीवविष (टॉक्सिन)** : • बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म) • स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता)	• मुख पाद रोग विषाणु • पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)	

23. **<u>परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)</u>** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रुप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रुप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 **<u>ऊष्मा के प्रभाव</u>** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रुप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रुप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रुप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

23.2 **<u>प्रारंभिक और द्वितीयक आग</u>** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रुप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घ ारेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

RajKaj Ref No.:
22000129

23.3 **<u>परमाणु बम के विष्फोट का प्रभाव</u>** –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रुप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -

  (a) Blast effect -45%
  (b) Heat effect -35%
  (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
• Time • Distance • Radiation	• Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible	• Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds	• Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects	• Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

23.4 **<u>मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव</u>** – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

RajKaj Ref No.:
22000129

23.5 **<u>परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव</u>** – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिटटी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 **<u>मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव</u>** – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पंहुचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–

- **<u>विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना</u>** – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रुप ले सकती है।
- **<u>विलंबित प्रभाव</u>** – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- **<u>दीर्घकालिक हानियां</u>** – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- **<u>आनुवांशिक हानि</u>** – यदि जननें–द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- **<u>प्रारम्भिक विकिरण</u>**–ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रुप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :–

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रुप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1–1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **<u>अवशिष्ट विकिरण</u>** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो

RajKaj Ref No.:
22000129

रेडियोधर्मी कण मिटटी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

23.9 Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	• Assess the effects that could take place during an attack. • Prepare teams to work during disasters. • Educate the public • Evaluate resources available • Demand for extra resources from the Govt • Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management • Liaise with the neighboring Districts/States • Prepare the Evacuation Plans • Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	• Proper Warning System • Taking of Shelter • Arrangement of First Aid to the victims • Control Rumors & give positive information • To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After thee Attack	• After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in

RajKaj Ref No.:
22000129

	the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside • Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neigh burs.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only

RajKaj Ref No.:
22000129

	your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

a. EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

(a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
(b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
(c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
(d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS

1. **Map Study**. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.

2. **Definition of Evacuation Area**. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.

3. **Vulnerable Urban District**. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

   (a) **Industrialization.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.
   (b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

RajKaj Ref No.:
22000129

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area**. The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.

5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -

(a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
(b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
(c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
(d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.

RajKaj Ref No.:
22000129

(e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time**. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. **Direction of movement**. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.

10. **Traffic Drainage Areas**. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

RajKaj Ref No.:
22000129

(a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.

(b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.

(c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.

(d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.

14. **Strategic Evacuation**. Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.

15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.

16. **Wind Directions**. The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

–

भाग – VI

RajKaj Ref No.:
22000129

25. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :–

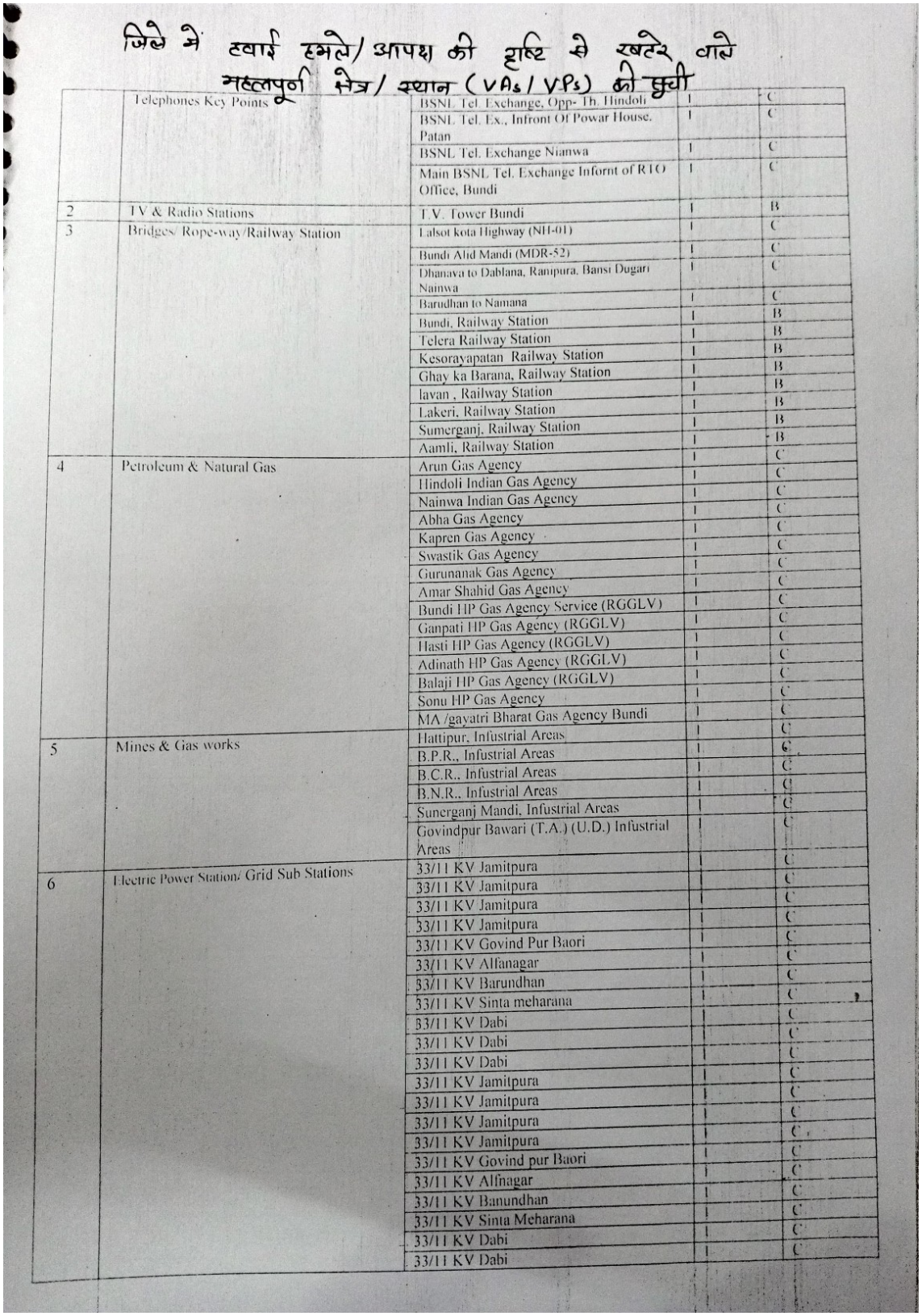

जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/स्थान (VAs/VPs) की सूची

	Telephones Key Points	BSNL Tel. Exchange, Opp- Th. Hindoli	1	C
		BSNL Tel. Ex., Infront Of Powar House, Patan	1	C
		BSNL Tel. Exchange Nianwa	1	C
		Main BSNL Tel. Exchange Infornt of RTO Office, Bundi	1	C
2	TV & Radio Stations	T.V. Tower Bundi	1	B
3	Bridges/ Rope-way/Railway Station	Talsot kota Highway (NH-01)	1	C
		Bundi Alid Mandi (MDR-52)	1	C
		Dhanava to Dablana, Rampura, Bansi Dugari Nainwa	1	C
		Barudhan to Namana	1	C
		Bundi, Railway Station	1	B
		Telera Railway Station	1	B
		Kesorayapatan Railway Station	1	B
		Ghay ka Barana, Railway Station	1	B
		lavan , Railway Station	1	B
		Lakeri, Railway Station	1	B
		Sumerganj, Railway Station	1	B
		Aamli, Railway Station	1	B
4	Petroleum & Natural Gas	Arun Gas Agency	1	C
		Hindoli Indian Gas Agency	1	C
		Nainwa Indian Gas Agency	1	C
		Abha Gas Agency	1	C
		Kapren Gas Agency	1	C
		Swastik Gas Agency	1	C
		Gurunanak Gas Agency	1	C
		Amar Shahid Gas Agency	1	C
		Bundi HP Gas Agency Service (RGGLV)	1	C
		Ganpati HP Gas Agency (RGGLV)	1	C
		Hasti HP Gas Agency (RGGLV)	1	C
		Adinath HP Gas Agency (RGGLV)	1	C
		Balaji HP Gas Agency (RGGLV)	1	C
		Sonu HP Gas Agency	1	C
		MA /gayatri Bharat Gas Agency Bundi	1	C
5	Mines & Gas works	Hattipur, Infustrial Areas	1	C
		B.P.R., Infustrial Areas	1	C
		B.C.R., Infustrial Areas	1	C
		B.N.R., Infustrial Areas	1	C
		Sunerganj Mandi, Infustrial Areas	1	C
		Govindpur Bawari (T.A.) (U.D.) Infustrial Areas	1	C
6	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Govind Pur Baori	1	C
		33/11 KV Alfanagar	1	C
		33/11 KV Barundhan	1	C
		33/11 KV Sinta meharana	1	C
		33/11 KV Dabi	1	C
		33/11 KV Dabi	1	C
		33/11 KV Dabi	1	C
		33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Jamitpura	1	C
		33/11 KV Govind pur Baori	1	C
		33/11 KV Alfnagar	1	C
		33/11 KV Banundhan	1	C
		33/11 KV Sinta Meharana	1	C
		33/11 KV Dabi	1	C
		33/11 KV Dabi	1	C

RajKaj Ref No.:
22000129

		33/11 KV Dabi	1	C
		33/11 KV Modal Farm	1	C
		33/11 KV Sathoor	1	C
		33/11 KV Sathoor	1	C
		33/11 KV Sathoor	1	C
		33/11 KV Badodiya	1	C
		33/11 KV Badodiya	1	C
		33/11 KV Dabalana	1	C
		33/11 KV Dhanwa	1	C
		33/11 KV Gothara	1	C
		33/11 KV Ranipura	1	C
		132 KVGSS Gendoli Rural	1	C
		132 KVGSS Lakheri rural	1	C
		33/11 KV Dara ka Naya Gaon	1	C
7	Water Supply/ Sewage key points	Bundi, Nainwa, Lakheri, K-Patan, Kapren, Indrgarh	5	C
8	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
9	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
10	Govt factories/ Industrial Installaltions	NIL	NIL	NIL
11	Food & Oil Storage Depots	Bunge India Pvt. Led.	1	C
		Adani Willmar Ltd. Kota	1	C
		Ruchi Soya Industries Ltd.	1	C
		Fce Godam bundi	1	C
12	Dams, Barrages	गुढा बांध, बून्दी का गोठडा बांध, छुगारी बांध, पाईवालापुरा बांध, पेच की बावडी बांध, रोनिजा बांध, बसोली बांध, मोतीपुरा बांध, वटावदी बांध, बांक्या खाल बांध, इन्द्राणी बांध, मरडिया बांध, नारायणपुरा बांध, चान्दा का तालाब बांध, मेण्डी बांध, जैतसागर बांध	16	C
13	Treasuries/ Banks/ Commercial Markets	Allahabad Bank/Andhra Bank/Axis Bank/BOB Bank/ BOI Bank/ BRKGB, Khoja Gate/Canara Bank/CBI bundi/Corporation Bank/Dena Bank/HDFC Bank/ ICICI Bank, Chaugan Gate/IDBI Bank/ Indian Oversies Bank/ Indian Bank, Dehikheda/ Kotak Mahindra Bank/OBC Bank/Punjab & Sindh Bank/PNB/Ratnkar Bank/SBBJ, Patan/ SBI /Sydicate Bank/UCO Bank/ Union Bank/BCCB/ DCAROB (PLDB) BUNDI	27	C
14	Pvt Factories/ Industrial Installations	Bunge India Pvt. Ktd./ACC Ltd./Adani Wollmar Ktd. Kota/ Ruchi soya Industries Ltd./K.J.Internatonal Ltd. (Closed)/Sri kahovrai Patan Shekari Sugar Mill Ltd. (Closed)	6	C
15	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
16	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL
17	Imp. Govt. Buildings	Collectorate Office/SP Office	2	B
18	Miscellaneous key points	NIL	NIL	NIL
19	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
20	Fertilizers Industries	NIL	NIL	NIL
21	Any other special from your perspective	NIL	NIL	NIL

RajKaj Ref No.:
22000129

26. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

क्रम संख्या	नाम स्वयंसेवक	पिता का नाम	स.सं.	मोबाइल नं	आगामी नवीनीकरण तिथि
1.	श्री अभिषेक कठेरिया	श्री गोपाल सिंह	1.	9521220285	25.02.2027
2.	श्री अजय राठौर	श्री पुरूषोत्तम राठौर	2.	7014620242	25.02.2027
3.	श्री अजय नायक	श्री नरसिह नायक	3.	9079669759	25.02.2027
4.	श्री भूपेन्द्र बैरवा	श्री ओमप्रकाश	4.	7976766968	25.02.2027
5.	श्री बृजमोहन सैनी	श्री भंवरलाल सैनी	5.	7742952570	25.02.2027
6.	श्री दीपक खत्री	श्री राजेन्द्र कुमार खत्री	6.	7891722897	25.02.2027
7.	श्री हीरालाल गुर्जर	श्री भोजा गुर्जर	7.	8890425837	25.02.2027
8.	श्री जितेन्द्र कुमार राठौर	श्री गणेश लाल राठौर	8.	9588897564	25.02.2027
9.	श्री जितेन्द्र सैनी	श्री रामधन सैनी	9.	9887718532	25.02.2027
10.	श्री मनोज सैनी	श्री रामभरोस सैनी	10.	8947002381	25.02.2027
11.	श्री मनोज कुमार राठौर	श्री गणेश लाल राठौर	11.	9079122304	25.02.2027
12.	श्री मुकेश राठौर	श्री छीतर लाल राठौर	12.	8385852843	25.02.2027
13.	श्री महावीर सैनी	श्री छीतर लाल	13.	8003189303	25.02.2027
14.	श्री नरेश सुमन	श्री छीतर लाल	14.	9521048107	25.02.2027
15.	श्री नीरज कुमार शर्मा	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	15.	0000000000	25.02.2027
16.	श्री नरेश कुमार सैनी	श्री मुन्नालाल	16.	9001363667	25.02.2027
17.	श्री पवन कुमार सैनी	श्री गोपाल लाल सैनी	17.	8107623726	25.02.2027
18.	श्री प्रेमशंकर सैनी	श्री शंभुलाल सुमन	18.	8107623726	25.02.2027
19.	श्री प्रहलाद माली	श्री हजारी लाल	19.	6378630678	25.02.2027
20.	श्री परमेश्वर चौहान	श्री हरिराम चौहान	20.	8504056293	25.02.2027
21.	श्री राजेन्द्र सुमन	श्री रामधन सुमन	21.	9166699943	25.02.2027
22.	श्री रामगोपाल	श्री गणपत लाल	22.	9636197767	25.02.2027
23.	श्री रवि कुमार नागर	श्री रामलक्ष्मण नागर	23.	9057448073	25.02.2027
24.	श्री राकेश कुमार	श्री गणेशलाल	24.	6378559493	25.02.2027
25.	श्री रोहन राठौर	श्री अश्वनी राठौर	25.	9672090397	25.02.2027
26.	श्री सुरेन्द्र सैनी	श्री प्रेमशंकर सैनी	26.	9782783976	25.02.2027
27.	श्री शेखर कठेरिया	श्री राजेश	27.	0000000000	25.02.2027
28.	श्री सोनू सुमन	श्री राम लाल	28.	9413074751	25.02.2027

RajKaj Ref No.:
22000129

		सुमन			
29.	श्री विकेश साल्वी	श्री हेमराज साल्वी	29.	8769191408	25.02.2027
30.	श्री विशाल गोचर	श्री सुखदेव गोचर	30.	8854848523	25.02.2027
31.	श्री आकाश सैनी	श्री शंभु सैनी	31.	7014851174	21.03.2028
32.	श्री अमित सैनी	श्री छीतरलाल सैनी	32.	9636262940	21.03.2028
33.	श्री अंकुश दायमा	श्री नरेन्द्र दायमा	33.	7023259977	21.03.2028
34.	श्री अनुराग मेवाडा	श्री विनोद कुमार	34.	9509886650	21.03.2028
35.	श्री आशीष कुमार शर्मा	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	35.	0000000000	21.03.2028
36.	श्री बबलेश कुमार	श्री सत्यप्रकाश वैष्णव	36.	9929883753	21.03.2028
37.	श्री बबली चौहान	श्री रघुवीर सिंह चौहान	37.	9351380670	21.03.2028
38.	श्री बलराम सिंह	श्री जयराज सिंह	38.	9001514484	21.03.2028
39.	श्री बलराम सैनी	श्री बजरंग लाल सैनी	39.	9636267495	21.03.2028
40.	श्री बनवारी लाल	महावीर प्रसाद	40.	9511540255	21.03.2028
41.	श्री बनवारी लाल मीणा	हजारीलाल मीणा	41.	9828309445	21.03.2028
42.	श्री भगवान सिंह हाडा	श्री नारायण सिंह	42.	8239147412	21.03.2028
43.	श्री बन्टी कुमार हर्शल	श्री भोजराज	43.	7414886481	21.03.2028
44.	श्री दीपक शर्मा	श्री बाबू लाल शर्मा	44.	9613924444	21.03.2028
45.	श्री देवीशंकर	श्री शोजीलाल	45.	7568741622	21.03.2028
46.	श्री देवकीनन्दन गोचर	श्री मनमोहन गोचर	46.	9549547964	21.03.2028
47.	श्री धनपाल	श्री अम्बालाल	47.	9680382474	21.03.2028
48.	श्री धनराज मीणा	श्री जगन्नाथ मीणा	48.	8290364160	21.03.2028
49.	श्री धनराज मेवाडा	श्री मोहन लाल	49.	9829424447	21.03.2028
50.	श्री धीरज कुमार नामा	श्री तेजमल नामा	50.	9929589343	21.03.2028
51.	श्री दिनेश कुमार स्वामी	श्री कौशल कुमार स्वामी	51.	9829146281	21.03.2028
52.	श्री दुष्यन्त लोधा	श्री सत्यनारायण लोधा	52.	9785732893	21.03.2028
53.	श्री गजेन्द्र सिंह	श्री भीम सिंह	53.	9928741340	21.03.2028
54.	श्री गिरजेश सैनी	श्री द्वारिका सैनी	54.	9799701288	21.03.2028
55.	श्री गोविन्द देव लोधा	श्री कन्हैयालाल लोधा	55.	9636093143	21.03.2028
56.	श्री जगदीश गुर्जर	श्री महावीर गुर्जर	56.	9680628880	21.03.2028
57.	श्री कुलदीप लोधा	श्री ओमप्रकाश लोधा	57.	0000000000	21.03.2028
58.	श्री लव शर्मा	श्री जगदीश राज	58.	9079813389	21.03.2028

RajKaj Ref No.:
22000129

		शर्मा			
59.	श्री महादेव प्रजापत	श्री सत्यनारायण	59.	9660859798	21.03.2028
60.	श्री महेन्द्र सिंह	श्री राजेन्द्र सिह	60.	9982541793	21.03.2028
61.	श्री मंजू बाई पांचाल	श्री गोपाल लाल	61.	0000000000	21.03.2028
62.	श्री मोहम्मद सलीम	श्री मुन्नाखान	62.	7737447400	21.03.2028
63.	श्री मुकेश भील	श्री रामप्रसाद भील	63.	9521272251	21.03.2028
64.	श्री नितिन रावत	श्री सूरजभान रावत	64.	7733987185	21.03.2028
65.	श्री पवन कुमार रावल	श्री छीतर लाल	65.	8104562047	21.03.2028
66.	श्री पवन कुमार शर्मा	श्री प्रकाशचन्द शर्मा	66.	7742101631	21.03.2028
67.	श्री पुरूषोत्तम राठौर	श्री गोवर्धन	67.	0000000000	21.03.2028
68.	श्री राजेश कुमार भील	श्री रामप्रसाद भील	68.	6377944486	21.03.2028
69	श्री राजकुमार जोशी	श्री बद्रीलाल	69	8239542790	21.03.2028
70.	श्री रामधन गुर्जर	श्री प्रहलाद गुर्जर	70.	9929079616	21.03.2028
71.	श्री रेखराज सुमन	श्री राधेश्याम	71.	9166471115	21.03.2028
72.	श्री रितेश कुमार	श्री रमेश कुमार	72.	9351916469	21.03.2028
73.	श्री रूबिना जावेद	श्री मुश्ताक अहमद	73.	9079180429	21.03.2028
74.	श्री सत्यनारायण भील	श्री हेमराज भील	74.	6377429935	21.03.2028
75.	श्री शंभू यादव	श्री राममनोहर	75.	9001661464	21.03.2028
76.	सुनिता जोशी	श्री रामगोपाल	76.	0000000000	21.03.2028
77.	श्री सुरेश गुर्जर	श्री मदनलाल	77.	8003581741	21.03.2028
78	श्री उजमा	श्री नन्नें खान	78	6375922763	21.03.2028
79.	श्री विमल कुशवाह	श्री रामदेव कुशवाह	79.	9001177352	21.03.2028
80.	श्री युधिष्ठिर मीणा	श्री भगत सिंह	80.	9772377734	21.03.2028
81.	श्री अर्जुन भील	श्री भगवान भील	81	9983498055	14.04.2027
82.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	श्री महावीर	82.	9829448283	14.04.2027
83.	श्री ओमप्रकाश गोचर	श्री महावीर	83.	8209318248	14.04.2027
84.	श्री बुद्धिप्रकाश हुण	श्री गणेशलाल	84.	9079605602	14.04.2027
85.	श्री दुर्गाशंकर वर्मा	श्री भंवरलाल	85.	8114843789	14.04.2027
86.	श्री दीपक मेघवाल	श्री भैरूलाल	86.	9571694804	14.04.2027
87.	श्री गजराज सिंह	श्री शिवराज सिंह शक्तावत	87.	9116597537	14.04.2027
88.	श्री गोविन्द कुमार	श्री भोजराज	88.	9660027067	14.04.2027
89.	श्री हनुमान यादव	श्री प्रेमशंकर याादव	89.	9660621270	14.04.2027
90.	श्री हिम्मत सिंह	श्री बहादुर सिंह	90.	6350514016	14.04.2027
91.	श्री जुगराज गोचर	श्री भंवरलाल	91.	9828385074	14.04.2027
92	श्री काशीराम सुमन	श्री कैलाश कुमार	92	8890980945	14.04.2027

RajKaj Ref No.:
22000129

		सुमन			
93.	श्री कैलाश योगी	श्री बाबूलाल योगी	93.	9610410569	14.04.2027
94.	श्री लोकेश गुर्जर	श्री नैनाराम गुर्जर	94.	9783044867	14.04.2027
95.	श्री लोकेश सैनी	श्री जगदीश सैनी	95.	9587372535	14.04.2027
96	श्री मनीष कुमार कठेरिया	श्री मुरारीलाल	96	8824327807	14.04.2027
97	श्री मुन्ना मीणा	श्री रंगलाल	97	0000000000	14.04.2027
98	श्री महादेव मीणा	श्री रामस्वरूप मीणा	98	9828811874	14.04.2027
99.	श्री महावीर सैनी	श्री प्रभुलाल सैनी	99.	9024679657	14.04.2027
100.	श्री मोहम्मद मुशहिद खान	श्री मुश्ताक अहमद खान	100.	7014711757	14.04.2027
101	श्री नवीन कुमार सैनी	श्री चतुर्भुज सैनी	101	7976661292	14.04.2027
102	श्री प्रवीण सैनी	श्री रामनारायण सैनी	102	6376283459	14.04.2027
103	श्री प्रदीप सैनी	श्री सत्यनारायण सैनी	103	8003815463	14.04.2027
104	श्री पंकज सैनी	श्री पुरूषोत्तम सैनी	104	8742026670	14.04.2027
105	श्री पिंकु कुमार राठौर	श्री देवीलाल राठौश्र	105	6378831650	14.04.2027
106	श्री पुरूषोत्तम रावत	श्री विद्याशंकर रावत	106	9269621167	14.04.2027
107	श्री प्रिंस गौत्तम	श्री दशरथ गौत्तम	107	9782751702	14.04.2027
108	श्री राजेश कुमार मीणा	श्री सोहनलाल मीणा	108	9772565554	14.04.2027
109	श्री रमेश मीणा	श्री रामसिंह	109	9649811050	14.04.2027
110	श्री राकेश कुमार सैनी	श्री गोपाल लाल	110	7014885057	14.04.2027
111	श्री रणजीत	श्री भंवरलाल	111	8824216875	14.04.2027
112	श्री राम अवतार शर्मा	श्री मोहनाल शर्मा	112	9799076276	14.04.2027
113	श्री शिवराज सिंह	श्री बाबूलाल	113	9680976711	14.04.2027
114	श्री सिबगत अली	श्री सदाकत अली	114	7737258560	14.04.2027
115	श्री शुभम बैरागी	श्री सोहनलाल	115	9928268647	14.04.2027
116	श्री सुरज्ञान सिंह	श्री हरीराज सिंह	116	8947941449	14.04.2027
117	श्री तुषार सुमन	श्री शंभूलाल	117	9660200859	14.04.2027
118	श्री विवेक शर्मा	श्री विष्णु प्रकाश शर्मा	118	9672804219	14.04.2027
119	श्री विनोद भील	श्री भगवान भील	119	8000629185	14.04.2027
120	श्री अनिल कुमार मीणा	श्री रामप्रकाश मीणा	120	9079287543	14.04.2027
121	श्री अशोक बैरागी	श्री रामप्रसाद	121	8003536205	14.04.2027

RajKaj Ref No.:
22000129

		बैरागी			
122	श्री भवानीशंकर कुमावत	श्री प्रेमशंकर कुमावत	122	9799207703	14.04.2027
123	श्री भवानी सिह	श्री लक्ष्मण सिंह	123	8239327626	14.04.2027
124	श्री भंवर लाल सैनी	श्री मोहनलाल	124	8003656777	14.04.2027
125	श्री भैरूलाल गुर्जर	श्री लादूलाल गुर्जर	125	8209773279	14.04.2027
126	श्री बुद्धिप्रकाश गुर्जर	श्री सुखलाल	126	6375201848	14.04.2027
127	श्री देवेन्द्र सिंह हाडा	श्री भवानी सिंह	127	8875601102	14.04.2027
128	श्री दुर्गालाल गुर्जर	श्री सुखालाल	128	9057563204	14.04.2027
129	श्री धर्मराज गुर्जर	श्री भंवरलाल	129	9001076188	14.04.2027
130	श्री दुर्गालाल गुर्जर	श्री भज्या गुर्जर	130	8107103313	14.04.2027
131	श्री गोविन्द शर्मा	श्री नृसिंह लाल	131	9664281139	14.04.2027
132	श्री हेरम्ब गोचरर	श्री सत्यनारायण	132	9672093175	14.04.2027
133	श्री हेमराज गुर्जर	श्री कल्याण गुर्जर	133	7742805633	14.04.2027
134	श्री हेमन्त सिंह	श्री गुरजीत सिंह	134	8107201313	14.04.2027
135	श्री जुगराज गोचर	श्री हरीशंकर गोचर	135	8504098612	14.04.2027
136	श्री कृष्ण कुमार जूनीवाल	श्री महेश कुमार	136	9680840640	14.04.2027
137	श्री खुशीराम गुर्जर	श्री प्रभुलाल	137	8905541678	14.04.2027
138	श्री खुशीराम सैनी	श्री खेमचंद सैनी	138	9772078940	14.04.2027
139	श्री किशनलाल गुर्जर	श्री देवलाल	139	8769629717	14.04.2027
140	श्री करण मीणाा	श्री हीरालाल मीणा	140	8690727459	14.04.2027
141	श्री कालूलाल गुर्जर	श्री जयकिशन	141	9664356587	14.04.2027
142	श्री लेखराज सुमन	श्री देवीलाल सुमन	142	9024885401	14.04.2027
143	श्री लेखराज गुर्जर	श्री रामकिशन गुर्जर	143	7340299616	14.04.2027
144	श्री लोकेश मीणा	श्री रामसिंह मीणा	144	9929663319	14.04.2027
145	श्री लेखराज गुर्जर	श्री देवलाल	145	8290667561	14.04.2027
146	श्री लेखराज गुर्जर	श्री सोहनलाल	146	9587766336	14.04.2027
147	श्री मुकेश कुमार सैनी	श्री जगन्नाथ सैनी	147	9462000682	14.04.2027
148	श्री मुकेश गुर्जर	श्री भंवरलाल	148	9166966938	14.04.2027
149	श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर	श्री खेमराज	149	9602114878	14.04.2027
150	श्री महेन्द्र गुर्जर	श्री छोगा गुर्जर	150	8441055666	14.04.2027
151	श्री मांगीलाल	श्री प्रभुलाल	151	8441836169	14.04.2027
152	श्री मनराज गुर्जर	श्री कल्याण गुर्जर	152	9828790012	14.04.2027
153	श्री नरेन्द्र कुमार गुंजल	श्री भवर लाल गुर्जर	153	8619745877	14.04.2027
154	श्री नन्दलाल मीणा	श्री लादूलाल मीणा	154	9772531096	14.04.2027

RajKaj Ref No.:
22000129

155	श्री ओमप्रकाश	श्री सत्यनारायण	155	7568007428	14.04.2027
156	श्री प्रहलाद गुर्जर	श्री देवकरणा	156	9664206863	14.04.2027
157	श्री प्रमेश गुर्जर	श्री कालू गुर्जर	157	9521635688	14.04.2027
158	श्री रामगोपाल	श्री भोजाजी गुर्जर	158	9772969762	14.04.2027
159	श्री राजेश गुर्जर	श्री देवलाल	159	8619281961	14.04.2027
160	श्री राजकुमार	श्री बख्तावर मीणा	160	9571798514	14.04.2027
161	श्री रामफूल गुर्जर	श्री रामलाल	161	7239985358	14.04.2027
162	श्री सोराज गुर्जर	श्री मेवाराम गुर्जर	162	7240758260	14.04.2027
163	श्री सुरेश गुर्जर	श्री गोरधन	163	7222867672	14.04.2027
164	श्री शंकर लाल गुर्जर	श्री रामकिशन गुर्जर	164	9602958496	14.04.2027
165	श्री विष्णु गुर्जर	श्री श्योजीलाल गुर्जर	165	8386921459	14.04.2027
166	श्री विनोद कुमार	श्री शंभूदयाल	166	9680121814	14.04.2027
167	श्री विवेक जांगिड	श्री मांगीलाल	167	7737794406	14.04.2027
168	श्री अजय सिह	श्री इन्द्रजीत सिंह	168	9571690460	14.04.2027
169	श्री भंवरलाल बंजारा	श्री हरिसिंह बंजारा	169	9672338747	14.04.2027
170	श्री भैरूलाल गोचर	श्री मदनलाल	170	6377109887	14.04.2027
171	श्री धर्मराज भील	श्री गोपाल	171	9602676671	14.04.2027
172	श्री गिर्राज पांचाल	श्री लक्ष्मीनारायण	172	8875343475	14.04.2027
173	श्री हरिभजन	श्री कल्याणलाल	173	8239316112	14.04.2027
174	श्री हरप्रीत सिंह	श्री कमलजीत सिंहह	174	8094363332	14.04.2027
175	श्री हरिनारायण गोचर	श्री रामसहाय	175	8890528684	14.04.2027
176	श्री हिम्मत राज गुर्जर	श्री महावीर गुर्जर	176	9116741065	14.04.2027
177	श्री जुगराज भील	श्री गोपाल भील	177	8058222177	14.04.2027
178	श्री जोधराज गुर्जर	श्री राधेश्याम गुर्जर	178	9950281615	14.04.2027
179	श्री कौशल लोधा	श्री मोहनलाल लोधा	179	7610801325	14.04.2027
180	श्री कन्हैयालाल गुर्जर	श्री देवलाल गुर्जर	180	7726996441	14.04.2027
181	श्री लोकेश कुमार	श्री राजाराम गुर्जर	181	9610479230	14.04.2027
182	श्री मनोज कुशवाह	श्री रामपाल	182	8890717641	14.04.2027
183	श्री महावीर कुशवाह	श्री मोहनलाल कुशवाह	183	8619446426	14.04.2027
184	श्री महावीर कुशवाह	श्री राधेश्याम कुशवाह	184	8104386486	14.04.2027
185	श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर	श्री रामविलास गुर्जर	185	7891815314	14.04.2027
186	श्री मनराज गोचर	श्री देवकरण गुर्जर	186	8107814354	14.04.2027
187	श्री नरेन्द्र सैनी	श्री भैरूलाल	188	9462701773	14.04.2027

RajKaj Ref No.:
22000129

188	निशु नागर	श्री चेतराम नागर	189	6378162900	14.04.2027
189	श्री पवन कुमार	श्री कन्हैयालाल	190	9549990835	14.04.2027
190	श्री रमेश कुमार	श्री रामप्रकाश	191	9828254118	14.04.2027
191	श्री राकेश गुर्जर	श्री भैरूलाल गुर्जर	192	8239967562	14.04.2027
192	श्री रणजीत गुर्जर	श्री रामप्रसाद	193	9649917814	14.04.2027
193	श्री सोराज गुर्जर	श्री मोडूलाल	194	6377099440	14.04.2027
194	श्री सत्यनारायण	श्री रामकिशन माली	195	7891165749	14.04.2027
195	श्री सीताराम मालु	श्री सोजीलाल माली	196	8742886498	14.04.2027
196	श्री शिवराज भील	श्री हेमराज भील	197	7014224357	14.04.2027
197	श्री विक्रम सिंह	श्री जगन्नाथ सिंह	198	8890071679	14.04.2027

27. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या(नग)
01	फायर सूट	02
02	रेस्क्यू ड्रॉन	01
03	पॉकेट मास्क	02
04	यूएस डीसेन्डर	02
05	ट्वीन पुली	06
06	सिंगल पूली	06
07	सेफ्टी गोगल्स	11
08	असेन्डर	02
09	सेमी रग्ड लेपटॉप	01
10	बाडी हारनेस	01
11	लाईफ जैकेट	63
12	इनफलेटेबल बोट बिद ओवीएम	01
13	एचएफडीलक्स बाइक	01
14	लाईफ बॉय	43
15	रोप 12एमएम	07
16	रोप 14 एमएम	06
17	गम बूट	27
18	हेलमेट	27
19	फुल बॉडी हारनेस	04
20	फोल्डिंग स्ट्रेचर	22
21	फाइबर स्ट्रेचर	04

RajKaj Ref No.:
22000129

22	ब्लेंकेट	08
23.	कैराबीनर	15
24.	मास्क मल्टीपरपज	02
25	हैण्डटूल सेट	03
26	ड्रेगन लाईट	16
27	मेगाफोन	26
28	बोलेरो केम्पर	01
29	हैण्ड ग्लोब्ज	09
30	सब्बल	10
31	फावडा	10
32	गेती	10
33	हथौडा	10
34	फायर एक्सींगग्यूशर फॉम टाईप	02
35	फायर एक्सींगग्यूशर ए.बी.सी. टाईप	02
36	रेनशुज	30 जोडे
37	सेफटी हेलमेट मय टॉर्च	10
38	अंडर वाटर टॉर्च	02
39	बाईनोकुलर	03
40	नी–पेड	05
41	रेनकोट	40
42	नायलॉन रोप 8एमएम (100 मीटर प्रति सेट)	03
43	बीओबी रोप 14एमएम(100 मीटर प्रति सेट)	02
44	बीओबी रोप 16एमएम(100 मीटर प्रति सेट)	02
45	सायरन 5 किमी	01
46	सायरन 2 किमी	05
47	भिलाई	05
48	बक्से	05
49	रेपलींग एंड क्लामिंग रोप	01
50	हरिसन लॉक	05
51	व्हाईट बोर्ड	01
52	कम्प्यूटर टेबल	01
53	कुर्सी	03
54	स्टील टेबल	01
55	स्टील अलमीरा	01
56	ऑफिस टेबल	01

RajKaj Ref No.:
22000129

57	ऑफिस कुर्सी	01
58	कूलर	01
59	पर्सनल कम्प्यूटर	01
60	प्रिंटर	01
61	मोना ब्लॉक पम्प	01

”

RajKaj Ref No.:
22000129

कार्यालय नियंत्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा बून्दी

क्रमांक : **दिनांक :**

:: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि नागरिक सुरक्षा बून्दी में जिला स्तर पर स्वयंसेवकों को जोडते हुए जनगणना 2011 के आंकड़ो के अनुरूप जिला नागरिक सुरक्षा योजना वर्ष माह अप्रैल 2026 तक अद्यतन कर लिया गया है।

(हरफूल सिंह यादव)
नियत्रंक (जिला कलक्टर)
नागरिक सुरक्षा बून्दी

RajKaj Ref No.:
22000129